इन प्लेनस्पीक

यौनिकता पर एक डिजिटल पत्रिका



परिवार और यौनिकता



कवर कवि 🗕 उपामना अगरवाल

© कॉपीराइट तारशी

इस प्रकाशन की सामग्री का उपयोग गैर-वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए तारशी को उचित श्रेय देकर किया जा सकता है। तारशी की अनुमति के बिना प्रकाशित सामग्री को संशोधित, संपादित और / या पुनर्वितरित नहीं किया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए कृपया blogeditor@tarshi.net पर संपर्क करें।

© TARSHI

The content of this publication may be used for non-commercial purposes by giving appropriate credit to TARSHI. The content in the publication cannot be modified, edited and/or redistributed without express permission of TARSHI. Please contact blogeditor@tarshi.net for more details.

तारशी में हमारा मानना है कि सभी व्यक्तियों को स्वीकार्य, सकारात्मक एवं आनंदमय यौनिकता का अधिकार है। इसी सोच को लक्ष्य मानकर हम जानकारी प्रसार, ज्ञान और पिरप्रेक्ष्य निर्माण के माध्यम से लोगों का उनके यौन और प्रजनन स्वास्थ्य पर नियंत्रण और साधन एवं उनके समग्र स्वास्थ्य का समर्थन करते हैं। हम मानव अधिकारों की रूपरेखा के अंतर्गत उन्हें सक्षम बनाने का प्रयास करते हैं। हमारा ऐसा ही एक प्रयास इन प्लेनस्पीक नाम की एक पत्रिका है। इन प्लेनस्पीक का उद्देश्य लोगों के बीच जेंडर, यौनिकता, यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य एवं अधिकारों पर वाद-संवादों को जन्म देना, उन्हें बढ़ावा देना और जेंडर एवं यौनिकता के विषय पर पठन सामग्री प्रस्तुत करना रहा है। इन प्लेनस्पीक पर अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में लेख प्रकाशित किए जाते हैं।

यदि आप भी अपनी कृतियों को हमारे इस मंच पर साझा करना चाहते हैं, तो प्रस्तुति से जुड़ी जानकारी के लिए कृपया इस संस्करण के अंतिम पृष्ठ को देखें।

संपादकीय

इन प्लेनस्पीक, एक डिजिटल पत्रिका, हर माह यौनिकता से जुड़े एक नए आयाम को देखती परखती है। यौनिकता एक ऐसा विषय है जिस पर समाज में चर्चा शुरू करना यिद नामुमिकन नहीं तो आसान भी नहीं है। यदा-कदा अगर चर्चा शुरू भी हो गई तो शर्म और हया के परदे में लिपटी, गुपचुप कोनों में खुसुर-फुसुर के जैसी दबी सी रह जाती है। यौनिकता पर यूँ तो हमारे समाज में एक चुप्पी सी पसरी होती है, पर छेड़ कर देखने भर की देर है और जेंडर एवं यौनिकता के अचंभित कर देने वाले आयाम खुलकर सामने आने लगते हैं। एक ही विषय-वस्तु को विभिन्न रचिता अलग-अलग नज़िरए से देखते हैं और हमें उसके सतरंगी रंगों से परिचित कराते हैं।

जहाँ तकनीक और इन्टरनेट ने हमारी पहुँच को दूर-दूर तक फैला दिया, उन लोगों के साथ विचारों का आदान-प्रदान करना जो तकनीक, इन्टरनेट और अंग्रेज़ी पर निर्भर नहीं हैं, एक बड़ी चुनौती रही है। इसी चुनौती के जवाब की कोशिश में प्रस्तुत है इन प्लेनस्पीक से लिए गए कुछ हिंदी लेखों का संकलन। ये सभी रचनाएँ अपनेआप में किसी वर्ग में बंधी नहीं हैं और एक ही विषय पर होते हुए भी एक दूसरे से जुड़ी नहीं हैं। इस संस्करण के पठन-पाठन की सुविधा मात्र के

लिए डिजिटल पत्रिका में प्रकाशित होने वाले इन लेखों को हमने चर्चा का विषय, साक्षात्कार, समीक्षा, बातों की झड़ी और मेरा पन्ना नामक वर्गों में वर्गीकृत किया है। चूँिक इन प्लेनस्पीक पत्रिका पर प्रकाशित होने वाले लेख हर माह यौनिकता के किसी ना किसी ख़ास आयाम से जुड़े होते हैं, हमने इस संस्करण के लिए चुने लेखों को 'परिवार' के धागे में पिरोने की कोशिश की है। वह परिवार जो हमारे समाज का एक 'महत्वपूर्ण स्तम्भ' माना जाता रहा है।

परिवार शब्द को सुनते ही हमारे दिमाग में घर के बुज़ुर्ग, माता-पिता, बच्चे और एक पालतू कुत्ते का एक पारंपरिक चित्र उभर आता है। परिवार को परिभाषित ही उस समूह के रूप में किया गया है जो खून के या शादी के रिश्ते से एक दूसरे से जुड़ा होता है। परिवार के इस पारंपरिक रूप के अलावा हमारा समाज अन्य किसी प्रकार के परिवार को मान्यता देने से कतराता है। कई ऐसे समूह हैं जिन्हें परिवार की रूपरेखा देने के लिए हमें कानून का सहारा लेना पड़ता है, जैसे यदि आप बच्चे गोद लेना चाहें तो वो आपके परिवार का हिस्सा तभी बनेंगे जब कागज़ी कारवाही पूरी होगी। और कई ऐसे समूह भी हैं जिन्हें कानूनन इजाज़त होने के बाद भी (भारत में धारा 377 में बदलाव के बाद से) परिवार होने की मान्यता नहीं मिलती, जैसे दो

महिलाएँ जिनके बीच प्यार का रिश्ता तो कानूनन रूप से मान्य है, पर वे परिवार होने की मान्यता नहीं प्राप्त कर सकतीं।

पर इस सब के साथ एक सच्चाई और भी है जिसे नकारा नहीं जा सकता, और वो है सतत होने वाला बदलाव; और इस बदलाव से समाज के नियम भी अछूते नहीं रहे हैं। परिवार के इस मज़बूत ढांचे को चुनौती देते अब अनेकों ऐसे परिवार जन्म ले रहे हैं जिनका वज़ूद ही कल्पनीय नहीं था। इस संस्करण में प्रस्तुत लेख परिवार के रूढ़िवादी ढांचे को देखते-परखते हैं, इसके महत्त्व को आंकते हैं और समय के साथ बदलते इसके चेहरे को पहचानने की कोशिश करते हैं।

इस संस्करण के एक लेख में प्रमदा मेनन राधिका चंदीरमानी के साथ अपनी बातचीत में परिवार के अनेक पहलुओं के बारे में अपने विचार रखती हैं, वे परिवार के बदलते गैर-पारंपरिक रूप की चर्चा करती हैं, परिवार द्वारा दिए जाने वाले स्नेह, समर्थन और अपनेपन की बात करती हैं और परिवार के छिपे रहस्यों का उल्लेख करती हैं। एक अन्य लेख में पूजा बद्रीनाथ व्यक्ति की यौनिकता और परिवार के बीच के सम्बन्ध को परखती हैं और उसमें व्यक्ति की यौनिकता की स्वीकार्यता एवं चुनाव पर सवाल उठाती हैं और इससे जुड़े डर को ज़ाहिर करने की कोशिश करती हैं। निरंतर संस्था द्वारा लिखित लेख जल्द एवं बाल विवाह के मुद्दे पर ध्यान आकर्षित करता है और दर्शाता है कि कैसे ये परिवार और समाज के ताने-बाने में उलझा हुआ मुद्दा है। दीपा रंगनाथन भी अपने लेख में विवाह के ही मुद्दे को उठाती हैं पर महिला की यौनिकता के नज़रिए से; वे समाज एवं परिवार में एक एकल महिला के वजूद को प्रस्तुत करती हैं। इस संस्करण का एक लेख ऐसा भी है जिसमें लेखक अनाम रहना चाहते हैं, इस लेख में लेखक हमें परिवार के एक अलग रूप से परिचय करवाते हैं, जिसमें शोषण है, अत्याचार है और उस शोषण से बाहर निकलने का संघर्ष है।

शिखा आलेया इन्टरनेट पर भारतीय परिवारों द्वारा और 'परिवार और यौनिकता' विषय पर चल रही लोक-चर्चा का अवलोकन करती हैं और यौनिकता पर बातचीत या चर्चा शुरू करने के महत्त्व पर ज़ोर देती हैं। एक अन्य लेख में दीपिका श्रीवास्तव परिवार और उसके मायने को प्रवसन की कसौटी पर रखकर आंकती हैं और महिलाओं के प्रवास का मुद्दा उठाती हैं। अगले लेख में इना गोयल एक ऐसे समुदाय के बारे में अपनी शोध साझा करती हैं जिसे 'परिवार' के सन्दर्भ में देखना थोड़ा असामान्य सा लगता है – इना हिजड़ा समुदाय की बात करती हैं। यहाँ इना के लेख में भी हिजड़ा समुदाय को परिवार के रूप में समझने का प्रयास नहीं किया गया है, बल्कि वे इस समुदाय में उपस्थित श्रेणीबद्धता और गुरु-चेले परंपरा की बात करती हैं। परिवार और यौनिकता के इस संस्करण में इस लेख को शामिल करने के पीछे हमारी मंशा समाज में उपस्थित अन्य 'अदृश्य' परिवारों को समझने में मदद करने से है। यह लेख हमें यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि एक व्यक्ति जो अपनी पहचान एक हिजड़े के रूप में करते हैं उनके लिए परिवार क्या है, वो जहाँ उन्होंने जन्म लिया या वो हिजड़ा समुदाय, उनके गुरु और अन्य बहनें जिन्होंने उनको परिवार की तरह सहयोग दिया। परिवार के अनेक रंगों से रंगे इस संस्करण का अंत हम अखिल कत्याल की एक कविता के साथ कर रहे हैं जो कहती तो बस एक रात की कहानी है पर फिर से परिवार और रिश्तों के उस सोचे-समझे प्रारूप पर सवाल उठाती हैं जो कहीं ना कहीं हमारे मन में घर कर गया है।

इस संस्करण में सम्मिलित लेखों के हिंदी अनुवाद के लिए हम सोमेन्द्र कुमार और दीपिका श्रीवास्तव के आभारी हैं।

इस संस्करण में

चर्चा का विषय	
पहेली चुनाव की – शादी, परिवार और यौनिकता	8
पूजा बद्रीनाथ	
साक्षात्कार	
क्यों परिवार हमारे दिलो-दिमाग पर इस कदर छाए रहते हैं?	14
राधिका चंदीरमानी	
समीक्षा	
इन्टरनेट पर परिवार और यौनिकता – एक रिव्यु	26
शिखा आलेया	
समीक्षा	
बाल और जल्द विवाह पर एक विश्लेषण	36
निरंतर	30
निरंतर	
बातों की झड़ी	
महिलाओं का विवाह पश्चात् 'प्रवसन' और उससे जुड़े कुछ मुद्दे	47
दीपिका श्रीवास्तव	

मेरा पन्ना अविवाहित महिला के अनेक संघर्ष दीपा रंगनाथन	54
मेरा पन्ना एक परिवार में सालों तक चलता यौन शोषण, सामूहिक असहजता, और एक अंत – यही है मेरी कहानी अनाम लेखक	64
मेरा पन्ना हिजड़ा समाज के भीतर निर्धारित श्रेणीबद्धता इना गोयल	73
मेरा पन्ना बर्लिन में अखिल कत्याल	80

पहली चुनाव की



पूजा बद्रीनाथ पहले
क्रिया संस्था के साथ
काम करती थीं और
अब वे सेक्शुअल
राइट्स इनिशिएटिव
संस्था के साथ जुड़कर
काम करती हैं। वे
कानून और यौनिकता
के बीच संबंधों और
उनके एक-दूसरे को
प्रभावित करने के
तरीके को समझने में
गहरी दिलचस्पी
रखती हैं।

शादी परिवार और यौनिकता

पूजा बद्रीनाथ

"सभी प्रसन्न परिवार एक से होते हैं; प्रत्येक अप्रसन्न परिवार अपने-अपने अलग कारणों से अप्रसन्न होता है" – लियो टॉलस्टॉय

2014 को 'परिवार के वर्ष' की 20 वीं सालगिरह के रूप में मनाया गया और संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार परिषद् जैसे अंतर्राष्ट्रीय नीति निर्माण मंचों के साथ-साथ अनेक मंचों पर 'परिवार, और प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में परिवार का महत्व' विषय पर चर्चाएँ हुई। मानवाधिकार परिषद् में 'परिवार को सुरक्षित रखने' के बारे में एक प्रस्ताव पारित किया गया और परिवार की परिभाषा को संकुचित कर इसमें केवल पारंपरिक परिवारों को ही शामिल करने कोशिश की गई और साथ ही साथ यह स्वीकार किया गया कि सयुंक्त रूप से परिवार ही अपने प्रत्येक सदस्य के अधिकारों को सीमित करते हैं। संस्थागत रूप में परिवार को हमेशा से सही माना जाता रहा है और 'परिवार' की अवधारणा एक ऐसा क्षेत्र है जिस पर विचार करने को बहुत कम ही लोग उद्धत होते हैं। इस अवधारणा में परिवार ही यौनिकता, विशेषकर महिलाओं की यौनिकता, के विनियमन/नियंत्रण की एकमात्र अनौपचारिक व्यवस्था होती है।

यौनिकता और परिवार के बीच एक बहुत ही बेकार का नाता है। 'परिवार' और 'यौनिकता' दोनों की ही किसी भी व्यक्ति के निजी जीवन में बहुत जटिल भूमिका होती है। ये दोनों ही किसी व्यक्ति के जीवन में अनेक तरह की भावनात्मक उलझने पैदा करते हैं और वास्तविकता यही है कि इनके कारण व्यक्ति को अनेक बार दिल टूटने के अनुभव से गुज़रना पड़ता है। इसलिए इसमें कोई हैरानी नहीं कि इन दोनों के बारे में लोगों के मन में केवल एक ही द्विधा होती है कि इन्हें स्वीकार कैसे किया जाए – जैसे परिवार द्वारा यौनिकता को स्वीकार किया जाना: परिवार के प्रत्येक सदस्य के विचारों और तरीकों को दूसरे सदस्यों द्वारा स्वीकार किया जाना, ख़ासकर तब जब सबके विचार एक दूसरे से अलग हों; एक पारंपरिक परिवार के परिप्रेक्ष्य में अपनी खुद की यौनिकता को स्वीकार

'परिवार' और 'यौनिकता' दोनों की ही किसी भी व्यक्ति के निजी जीवन में बहुत जटिल भूमिका होती है। ये दोनों ही किसी व्यक्ति के जीवन में अनेक तरह की भावनात्मक उलझने पैदा करते हैं और वास्तविकता यही है कि इनके कारण व्यक्ति को अनेक बार दिल टूटने के अनुभव से गुज़रना पड़ता है।

कर पाना आदि-आदि। हालांकि, नारीवादी यौनिकता के सन्दर्भ में स्वीकार्यता के इस विचार को मान्यता नहीं देते और उन्होंने इस चर्चा को स्वीकार्यता से (जिसमें सहज ही यह माना जाता है कि किसी भी अलग या समस्यापूर्ण व्यवहार की बजाय सामान्य व्यवहारों को स्वीकार कर पाना सरल होता है) परे करते हुए इसे स्वतंत्रता के साथ जोड़ने के प्रयास किए हैं। ऐसा करने से परिवार और यौनिकता,

दोनों के साथ 'चुनाव या इच्छा' का विचार भी जुड़ जाता है, जो वास्तव में मतभेद का मूल कारण भी होता है। क्या हमें यह चुनाव करने का अधिकार है कि हम कौन हैं और किसे पसंद करते हैं? क्या हमें अपनी इच्छा से अपना यौन जीवन जीने का अधिकार है? क्या हम यह निर्णय ले सकते हैं कि हमारे परिवार में कौन लोग होंगे? इससे भी महत्वपूर्ण है कि अगर हमें ये अधिकार हों तो भी उससे क्या अंतर होने वाला है? क्या ऐसा होने से हमारे परिवार और उनके व्यवहारों में कोई बदलाव आ जाएगा?

इन असंख्य भावों के व्यूह में ऐसा कहा जा सकता है कि परिवार का हमारी यौनिकता पर प्रभाव बहुत ही दुविधाजनक और विरोधाभास से भरा है। जहाँ एक ओर विवाह सम्बन्ध, विशेषकर माता-पिता द्वारा तय किए जाने वाले विवाह सम्बन्ध, परिवार द्वारा निर्धारित किए जाते हैं और इसका सीधा अर्थ यह निकलता है कि कोई एक व्यक्ति किस दुसरे के साथ यौन सम्बन्ध बनाएगा, इसका फैसला परिवार द्वारा किया जाता है। इसी तरह किसी लड़की के व्य:संधि या प्यूबर्टी में पहुँचने पर किए जाने वाले आयोजन भी एक तरह से यही ऐलान करते हैं कि 'लड़की अब यौन परिपक्व हो गयी है और प्रजनन कर सकती है'। ऐसा करते हुए परिवार उस लड़की की अपनी यौनिकता पर विचार नहीं करता, जो कि बहुत संभव है कि परिवार की निर्धारित समय सीमाओं से अलग हों। अगर हम इन अनुष्ठानों को सकारात्मक रूप में देखें तो लगता है कि यह लड़की के एक आयु पर पहुँचने पर उसकी यौनिकता का उत्सव है भले ही यह विषमलैंगिक पितृसत्तात्मक प्रथा के अंतर्गत उसके द्वारा प्रजनन से जुड़ा है। लेकिन इस उत्सव में एक शर्त भी जुड़ी रहती है कि परिवार को यह निर्णय कर पाने का अधिकार मिलता है कि लड़की अपनी यौनिकता का अनुभव केवल विवाह के माध्यम से करे। लेकिन जब वह अपने यौन अनुभव 'सामान्य वैवाहिक संबंधों' के बाहर पाना चाहती है (जैसे कि सम-लैंगिक सम्बन्ध, अंतर्जातीय या अंतर-धार्मिक सम्बन्ध) तो ऐसे में परिवार की प्रतिक्रिया बहुत ही उग्र होती है। इसके अलावा, परिवारों के भीतर

यौन हिंसा की घटनाओं जैसे बाल यौन शोषण या व्यस्क व्यक्तियों का परिवार के लोगों द्वारा यौन शोषण को अक्सर छुपा दिया जाता है। यौन शोषण किए जाने और इसके बाद साधी गयी चृप्पी के अक्सर बहुत ही दुखदायी परिणाम होते हैं। इससे तो यही निष्कर्ष निकलता है कि परिवार के अन्दर यौनिकता पर किसी भी तरह की चर्चा केवल विवाह के सन्दर्भ में ही संभव है। विवाह को पारंपरिक स्वीकार्य परिवार का आधार स्तम्भ भी समझा जाता है और यह माना जाता है कि विवाह से एक नए परिवार की रचना होती है। विवाह से व्यक्ति की यौनिकता भी उसी तरह से प्रमाणित हो जाती है जैसे कि विवाह से एक 'नए परिवार' की रचना की। परिणामस्वरूप विवाह के अलावा किसी भी अन्य रूप में यौनिकता पर चर्चा करने को न केवल 'पथभ्रष्ट'

विवाह को पारंपरिक स्वीकार्य परिवार का आधार स्तम्भ भी समझा जाता है और यह माना जाता है कि विवाह से एक नए परिवार की रचना होती है। विवाह से व्यक्ति की यौनिकता भी उसी तरह से प्रमाणित हो जाती है जैसे कि विवाह से एक 'नए परिवार' की रचना की।

समझा जाता है बिल्क इसे हमारे समाज और विवाह की प्रथा के लिए भी खतरा समझा जाता है जिसके द्वारा परिवारों का सृजन होता है भले ही कभी-कभी यह सृजन जबरदस्ती से क्यों न किया जाता हो।

Vogue द्वारा महिला सशक्तिकरण पर जारी विडियो ''माय चॉइस'' को लेकर भारत में उठे विवाद ने तो महिला प्रतिनिधिकरण, सशक्तिकरण, नव-उदारवाद और परिणामस्वरूप विवाह के अलावा किसी भी अन्य रूप में यौनिकता पर चर्चा करने को न केवल 'पथभ्रष्ट' समझा जाता है बल्कि इसे हमारे समाज और विवाह की प्रथा के लिए भी खतरा समझा जाता है जिसके द्वारा परिवारों का सृजन होता है भले ही कभी-कभी यह सृजन जबरदस्ती से क्यों न किया जाता हो।

महिला अधिकारों को लेकर मानों एक नया मोर्चा ही खोल दिया। हालांकि इस लेख में इन विषयों पर विचार नहीं किया गया था, लेकिन इस विडियो में एक प्रयुक्त एक वाक्य, 'विवाह के अतिरिक्त बाहर सेक्स करना - मेरी मर्ज़ी' और उस पर हुई प्रतिक्रियाएँ हमारे लिए प्रासंगिक हैं। इस वाक्य पर हर ओर से समालोचनाएँ प्राप्त हुई और इन सभी में एक समान विचार यह सामने आया कि यह विडियो 'व्यभिचार' को बढ़ावा देने वाला है। हालांकि 'विवाह के अलावा सेक्स करने' के बारे में कोई आम राय नहीं बन पाई लेकिन इस वाक्य के प्रयोग को लेकर उठे विवाद से पारंपरिक परिवारों और यौनिकता के बीच का सम्बन्ध साफ़ दिखाई पड़ता है। एक अन्य घटना, जिसमें एम्स अस्पताल की एक डॉक्टर ने अपने पति की समलैंगिक आदतों और दहेज़ के कारण प्रताड़ित किए जाने का

कारण बताते हुए आत्महत्या कर ली, और इस घटना के कारण 'विवाह' की प्रथा केंद्र बिंदु में आ गयी। बहुत से सिक्रयतावादियों ने विवाह के बारे में सवाल खड़े करते हुए प्रचलित मीडिया में लेख भी लिखे। आज तक विवाह के सम्बंधित प्रत्येक विचार और इस पर चर्चा नारीवादी अभियान और नारीवादी समालोचना के अंतर्गत ही होती रही है लेकिन अब ज़रुरत है कि यौनिकता से सन्दर्भ में

'विवाह और परिवार' पर भी विचार किया जाए। आमतौर पर परंपरागत रूप से भी परिवार अपने महिला सदस्यों की यौनिकता पर नियंत्रण रखते हैं जिसका सम्बन्ध संतान उत्पत्ति और परिवार में विरासत और फिर इस विरासत के विभाजन से होता है। इन दोनों ही घटनाओं में 'विवाह प्रथा की पवित्रता' पर ही साफ़-साफ़ सवाल खड़े किए गए और दूसरी घटना के परिणाम तो बहुत ही हृदय-विदारक थे। Vogue के विडियो की पहली घटना से बखेडा खडा हो गया। सोशल मीडिया और दूसरे मीडिया में लोग जल्द ही इस निर्णय पर पहुँच गए कि विवाह संबंधों के बाहर सेक्स सम्बन्ध रखे जाने की बात कह कर व्यभिचार को स्वीकृति

आज तक विवाह के सम्बंधित प्रत्येक विचार और इस पर चर्चा नारीवादी अभियान और नारीवादी समालोचना के अंतर्गत ही होती रही है लेकिन अब ज़रुरत है कि यौनिकता से सन्दर्भ में 'विवाह और परिवार' पर भी विचार किया जाए।

देने की कोशिश की गयी थी। अगर यह मान भी लिया जाए कि लोग वास्तव में व्यभिचार की ही बात कर रहे थे (जो अपनेआप में एक काल्पनिक स्थिति है), तो भी व्यभिचार कोई नई घटना तो नहीं थी या कुछ ऐसा जिसके बारे में लोग पहली बार सुन रहे थे। फिर भी लोगों को इस विचार को सुनकर किसी शराबी द्वारा नशे में कही गयी बात से भी ज़्यादा समस्या हुई कि कोई महिला विवाह के बाहर सेक्स करने का चुनाव भी कर सकती थी!

विवाह के बाहर सेक्स सम्बन्ध रखने और व्यभिचार करने के बारे में हमारे समाज में नैतिक निर्णय इतने कड़े और कटु होते हैं कि सरकार को भी लगता है कि इन्हें एक नया परिवार शुरू करने के उद्देश्य से या 'विवाह की पवित्रता' को बनाए रखने के लिए विवाह संबंधों के सन्दर्भ में यौनिकता उतना भयभीत नहीं करती। कुछ देशों में समलैंगिक लोगों के विवाह के पक्ष में चलाए जा रहे अभियान इस विचार का प्रमाण लगते हैं।

विनियमित किया जाना चाहिए, फिर चाहे इसके लिए भारतीय दंड विधान में आपराधिक प्रावधान ही क्यों न लगाने पड़ें, रख-रखाव के खर्चे से वंचित करना पड़े या व्यभिचार सिद्ध हो जाने पर तलाक मंज़ूर कर लिए जाए। ऐसे मामलों में जहाँ महिला को रख-रखाव के खर्च देने से मना किया जाता है उनमें आमतौर पर पित का महिला पर आरोप होता है कि 'यह व्यभिचारी थी'। विशेषज्ञों का मानना है कि रक्त वंशावली को सुरक्षित रखने और संपत्तियों को अक्षुण रखने के लिए ही यौन पवित्रता को मानक मान लिया है।

एक नया परिवार शुरू करने के उद्देश्य से या 'विवाह की पवित्रता' को बनाए रखने के लिए विवाह संबंधों के सन्दर्भ में यौनिकता उतना भयभीत नहीं

करती। कुछ देशों में समलैंगिक लोगों के विवाह के पक्ष में चलाए जा रहे अभियान इस विचार का प्रमाण लगते हैं। संभव है कि इसी कारण से कुछ क्वियर अभियानों में यौनिकता के अधिकार पर विचार किए जाने की बजाय अब परिवार और इज्ज़त के विषय को आगे बढ़ाया जा रहा है। संभवत: 'समलैंगिक प्रेम' को भी केवल यौन इच्छा या सेक्स करने की इच्छा जिसमें परिवार का निर्माण नहीं होता मानने की बजाय दीर्घकालिक विवाह के सामान सम्बन्ध मान लिए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। शायद सेक्स वर्क या धन के आदान-प्रदान पर किए जाने वाले सेक्स को अब अधिक तिरस्कृत किया जा रहा है क्योंकि ऐसे सेक्स के बाद 'परिवार' या 'सम्मानजनक संबंधों' का निर्माण नहीं होता है।

हर विवाह-सम्बन्ध कल्पना पर आधारित नहीं होता लेकिन फिर भी हम कुछ सामजिक व्यवस्थाओं को अधिक महत्व दिए जाने के उन विचारों पर प्रश्न करना जारी रखें जो हम सब ने बना रखी है; कि किसी भी तरह का विवाहेत्तर यौन सम्बन्ध या परिवार की मर्यादाओं से बाहर निकल कर बना सम्बन्ध खराब होता है। क्वियर विचारों को भले ही सामान्य न माने लेकिन अगर हम सामान्य विचारों को ही थोड़ा सा क्वियर कर दें तो गैर-परंपरागत यौनिकताओं से जुड़ा कलंक और अकेलापन शायद कुछ हद तक कम हो जाए। ऐसा करने के लिए जरूरी होगा कि न केवल विवाह को यौनिकता से अलग कर के देखा जाए बल्कि विवाह को परिवार से भी अलग करा जाए। ऐसा कहने में मेरा अभिप्राय यह है कि हम न केवल अपनी इच्छा

क्वियर विचारों को भले ही सामान्य न माने लेकिन अगर हम सामान्य विचारों को ही थोड़ा सा क्वियर कर दें तो गैर-परंपरागत यौनिकताओं से जुड़ा कलंक और अकेलापन शायद कुछ हद तक कम हो जाए। ऐसा करने के लिए ज़रूरी होगा कि न केवल विवाह को यौनिकता से अलग कर के देखा जाए बल्कि विवाह को परिवार से भी अलग करा जाए।

और सेक्स में चुनाव कर पाएँ बल्कि हम किसके साथ अपना जीवन व्यतीत करना

चाहते हैं, इस बारे में भी चुनाव कर पाने की स्वतंत्रता हो, भले ही यह सम्बन्ध विवाह का हो या विवाह के जैसा न हो। ऐसा चुनाव कर पाने का अर्थ यह भी हो सकता है कि हम ऐसे लोगों के साथ रहना चाहें जिनके साथ हमारे मन में पहले ही पारिवारिक बंधन हैं लेकिन इसमें किसी तरह का डर या भय नहीं होना चाहिए, चाहे भावनात्मक, आर्थिक या शारीरिक। ऐसा कर पाने के परिणाम होगा कि हम खुद से पूछना चाहेंगे कि हमें किस बात का भय है?

लेखिका मीनू का आभार व्यक्त करती हैं जिन्होंने इस लेख को आरम्भ में पढ़ा और इस पर अपने बहुमूल्य विचार दिए।

क्यों परिवार हमारे दिलो-दिमाग पर इस कदर छाए रहते हैं?



प्रमदा मेनन एक क्विअर, नारीवादी कार्यकर्ता हैं, जो तीन दशकों से अधिक समय से जेंडर, यौनिकता, यौन अधिकारों और महिलाओं के अधिकारों, विकलांगता और मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों पर काम कर रही हैं। वह एक अंतरराष्ट्रीय महिला मानवाधिकार संस्था, क्रिया की सह-संस्थापक हैं। वह स्टेंड अप कॉमेडी भी करती हैं और उन्होंने अपने शो फैट, फेमिनिस्ट एंड फ्री के साथ भारत के कई शहरों की यात्रा की है। वे एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म 'एंड यू थॉट यू न्यु मी' की निर्देशक भी हैं।

प्रमदा मेनन के साथ राधिका चंदीरमानी की बातचीत

राधिका चंदीरमानी – 'परिवार' के बारे में आप क्या सोचती हैं प्रमदा?

प्रमदा मेनन — क्यों परिवार हमारे दिलो-दिमाग पर इस कदर छाए रहते हैं? क्यों हम चाहते हैं कि परिवार के लोग हमेशा हमें समझें, हमारा साथ दें और हमारे हर विचार के बारे में उन्हें जानकारी हो? क्या शायद ऐसा इसलिए कि हमें ये सिखाया गया है कि हमारे जैविक परिवार और हम एक ही हैं? अगर हमें यह न बताया गया होता कि हमारे माँ-बाप कौन हैं, हमारे भाई-बहन कौन हैं या रिश्तेदार कौन हैं — तो क्या तब भी हम इन लोगों के प्रति उतना ही लगाव महसूस करते या उनके फैसले, उनकी मंज़ूरी की परवाह करते?

में ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हमें हमेशा ही यह कहा जाता है कि हमारा परिवार हमारे लिए सबसे बढ़कर है और परिवार की परिभाषा केवल जैविक परिवार ही है – जन्म देने वाली माँ, एक पिता, जिसकी संतान होने के बारे में हमें कोई संदेह नहीं होता, और इन माता-पिता द्वारा पैदा किए गए हमारे दुसरे भाई-बहन। पिछले कुछ समय से संतान को गोद लिए जाने, नई प्रजनन तकनीकों के आ जाने और सरोगसी से संतान पैदा करने के कारण जैविक परिवार की इस

क्यों परिवार हमारे दिलो-दिमाग पर इस कदर छाए रहते हैं? क्यों हम चाहते हैं कि परिवार के लोग हमेशा हमें समझें, हमारा साथ दें और हमारे हर विचार के बारे में उन्हें जानकारी हो? क्या शायद ऐसा इसलिए कि हमें ये सिखाया गया है कि हमारे जैविक परिवार और हम एक ही हैं?

छिव में धीरे-धीरे बदलाव आने शुरू हुए हैं। लेकिन अब भी परिवार का अर्थ वही है, अर्थात एक इकाई जिसमें मातृत्व या पितृत्व की भावनाओं का मार्गदर्शन रहता है। यह पारिवारिक इकाई सुरक्षा प्रदान करती है, देखभाल करती है, प्यार करती है, आपका साथ देती है लेकिन अगर इसे चुनौती दी जाए या अगर इसकी मर्यादाओं या सीमा का उल्लंघन हो तो यह आपको सज़ा भी देती है।

राधिका – आपके विचार में, व्यक्तिगत यौनिक स्वतंत्रता के सन्दर्भ में परिवार, आपका साथ देता है या एक संस्था के रूप में आपके विरोध में खड़ा होता है?

प्रमदा — हमारे अधिकाँश परिवारों में पालन किए जाने वाले नियम और कायदे हम उस समाज से ग्रहण करते हैं जिसमें हम रहते हैं; हम जिस वंश और

समुदाय से हैं उनकी प्रथाओं से सीखते हैं, या फिर उन सीखों से जो हमें विरासत में मिलती हैं और जिनके आधार पर हम ऐसे बहुत से नियमों को चुनौती दे सकते हैं। और परिवारों के भीतर नियमों का उल्लंघन होना बहुत ही सामान्य सी बात है क्योंकि हम सब एक-दुसरे से अलग हैं और अपने आसपास की दुनिया के बारे में हम सब की समझ अलग-अलग होती है और हम सभी दुनिया के साथ व्यवहार केवल अपनी बनाई परिभाषाओं के आधार पर करते हैं। अपने शरीर के बारे में और अपनी यौनिकता का प्रदर्शन किस तरह करना चाहिए, इसके बारे में अपने सदस्यों को सभी नियमों की जानकारी परिवार द्वारा ही दी जाती

है। कम से कम परिवार के पित्रसत्तात्मक मुखियाओं के मन में यह नियम बहुत स्पष्ट होते हैं और इन नियमों को तोड़ पाना कोई आसान काम नहीं होता। देखने में तो यह नियम बिल्कुल सरल लगते हैं, बिल्कुल समाज द्वारा सभी के लिए बनाए गए नियमों की तरह ही लगते हैं, जैसे की - केवल सामाजिक रूप से स्वीकृत जाति/धर्म/सामाजिक स्थिति के लोगों के बीच विवाह, बेहतर हो कि माता-पिता द्वारा तय किया हो: विवाह के बाद संतान को जन्म देना; बचपन में या जवानी में सेक्स से जुड़े कोई नए प्रयोग न करना, बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड न रखना और सबसे महत्वपूर्ण है कि समान जेंडर के किसी व्यक्ति के साथ कोई रोमांटिक या यौन सम्बन्ध कभी न रखा जाना। यह केवल नियमों का एक सेट मात्र है। बाकी सभी नियम या तो इन नियमों से पहले या बाद में बताए जाते हैं - जैसे कि हमें कैसे कपड़े पहनने चाहिए, हम कहाँ जा सकते हैं, सार्वजिक रूप से हम कौन से काम कर सकते हैं, घर से बाहर कितने समय तक रह सकते हैं आदि। यह सभी

अपने शरीर के बारे में और अपनी यौनिकता का प्रदर्शन किस तरह करना चाहिए, इसके बारे में अपने सदस्यों को सभी नियमों की जानकारी परिवार द्वारा ही दी जाती है। कम से कम परिवार के पित्रसत्तात्मक मुखियाओं के मन में यह नियम बहुत स्पष्ट होते हैं और इन नियमों को तोड़ पाना कोई आसान काम नहीं होता।

नियम किसी न किसी तरह के प्रतिबन्ध लगाते हैं और इन्हें चुनौती देने या तोड़ने का दंड किसी व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व को दाव पर लगा कर या कभी-कभी तो जान से हाथ गँवा कर भी भुगतना पड़ता है। यदि व्यक्ति विकलांगता के साथ रह रहे हों तो उनके लिए ये नियम और भी कड़े और बंधनकारी होते हैं। और परिवार में इन नियमों को लागू करने के विचार में व्यक्ति की सहमति को हमेशा अनदेखा किया जाता है।

यौनिकता एक जटिल विषय है... ऐसा इसलिए क्योंकि यौनिकता के बारे में फ़ैसले हमारे निजी फ़ैसले होते हैं। हमारे यह निर्णय निर्भर करते हैं हमारी सोच

यौनिकता एक जटिल विषय है... ऐसा इसलिए क्योंकि यौनिकता के बारे में फ़ैसले हमारे निजी फ़ैसले होते हैं। हमारे यह निर्णय निर्भर करते हैं हमारी सोच पर कि हमें क्या स्वीकार्य है और क्या नहीं। पर कि हमें क्या स्वीकार्य है और क्या नहीं। साथ ही साथ इन पर समाज में हमारी स्थिति का, हमारी शिक्षा का और उन मूल्यों का प्रभाव पड़ता है जो हमने बचपन से ग्रहण किए होते हैं। समय के साथ-साथ लोगों से संपर्क के कारण, फ़िल्में देखकर, किताबें पढ़कर, अपने अनुभवों के आधार पर और जिस इतिहास का हिस्सा हम रहे हैं, उनके आधार पर, हमारे बहुत से मूल्यों में बदलाव भी आ जाता है।

मुझे सबसे अधिक हैरानी यह सोचकर होती है कि यौनिकता के इर्द-गिर्द हमारे अधिकांश विचार बचपन में हमें मिली जानकारी पर आधारित होते हैं और बचपन ऐसा समय है जब हम पर सबसे अधिक प्रभाव हमारे परिवार का ही होता है। हमारे लिए क्या सही है, क्या नहीं या हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं, इसका फैसला परिवार इस आधार पर करता है कि परिवार के स्थायित्व के लिए क्या बेहतर है। ऐसा भी नहीं है कि परिवार जानबूझकर किसी सदस्य की स्वतंत्रता का हनन करना चाहता है, ऐसा करके तो वे केवल परिवार की इस सामाजिक संस्था को जीवित और 'शुद्ध' रखना चाहते हैं। 'शुद्ध रखने' से मेरा अभिप्राय यह है कि परिवार ऐसा कोई निर्णय नहीं लेना चाहता जिसके लिए समाज में उनकी बुराई हो या उन्हें नीचा देखना पड़े। और इसी कारण परिवार हर सदस्य के व्यवहार, विचार, कार्य और गतिविधियों पर इतनी नज़र रखता है।

राधिका – क्या कुछ बातों के बारे में चुप्पी साधे रहने से जुड़े कुछ नियम होते हैं...

प्रमदा — परिवारों को यौनिकता भयभीत करती है, ख़ासकर तब जब परिवार के युवा लोग सामाजिक स्वीकार्य मानकों से बाहर निकलकर किसी तरह का यौनिक व्यवहार करते हैं। लेकिन फिर भी परिवारों में शोषण के विषय को शायद ही कभी उठाया जाता है क्योंकि शोषण करने वाला व्यक्ति ज़्यादातर कोई परिवार का जानकार ही होता है। घर में लड़िकयों और लड़कों दोनों के शोषण के बारे में परिवार हमेशा चुप रह जाता है और बिना सहमित बच्चों का शोषण करने वाला वह व्यक्ति शोषित किए गए सदस्य से संपर्क जारी रखने में सफ़ल रहता है। मुझे नहीं लगता कि इस तरह के शोषण के विरुद्ध चुप्पी का कारण यह है कि पीड़ित व्यक्ति की बात पर परिवार को विश्वास नहीं होता बल्कि इसका कारण होता है कि यह बात जगजाहिर होने पर यदि गलती पीड़ित व्यक्ति की मानी जाती है तो कहीं परिवार को शर्म और पछतावे का सामना न करना पड़े।

बहुत से परिवारों में इस तरह से 'पथभ्रष्ट' व्यवहारों को दबा देने के लिए एक तरह की काल्पनिक अलमारी भी होती है जहाँ ऐसी सभी कहानियाँ दफ़न कर दी जाती हैं। ऐसी बहुत सी कहानियाँ जो उजागर होते हुए भी इन अलमारियों में बंद होती हैं – जैसे परिवार का गे लड़का, या लेस्बियन लड़की, बाईसेक्शुअल अंकल, 'नारी सुलभ' (फेमिनिन) व्यवहार करने वाला चचेरा भाई, जाति से बाहर विवाह करने वाले कोई चचेरे या ममेरे भाई/बहन, दादी जिन्होंने अपने पहले पित को छोड़ दिया था, 'अनब्याही' बुआ, या बच्चों के साथ 'खेलने' वाले रिश्तेदार – इस फेहरिस्त का कोई अंत नहीं है। इन कहानियों को एकांत में भले ही स्वीकार किया जाता हो लेकिन कोशिश रहती है कि उन्हें परिवार के इतिहास में कहीं गहरे दफ़न कर दिया जाए।

राधिका – क्या आपको ऐसा लगता है कि परिवार के बारे में आपकी अपनी सोच में समय के साथ बदलाव आया है?

प्रमदा — उम्र बढ़ने के साथ-साथ, अपने परिवार द्वारा यौनिकता से जुड़े विषयों के बारे में लगाए गए प्रतिबंधों के बारे में व्यक्ति की समझ बढ़ती जाती है। इसका एक कारण यह भी होता है कि समाज, लोगों और संस्थाओं के साथ हमारे खुद के व्यवहार हमें फिर एक बार अपनी यौनिकता के बारे में सोचने को मजबूर कर देते हैं। इसका एक अन्य कारण यह भी है कि हममें से बहुत लोगों ने परिवार के बारे में अपनी खुद की समझ को बढ़ाते हुए और परिवार की परिभाषा को बदलते हुए इसमें अनेक ऐसे सदस्यों को शामिल कर लिया है जिन्हें आमतौर पर परिवार का अंग नहीं समझा जाता।

राधिका — आजकल न ही शादी करना और न ही संतान पैदा करना ज़रूरी रह गया है और ऐसा भी नहीं कि अगर आपने विवाह किया हो तो संतान भी पैदा करनी होगी या संतान पैदा की है तो आपका विवाहित होना भी ज़रूरी है। क्या ऐसे परिवार हैं जिनकी परिकल्पना सेक्स के आधार पर न होकर दोस्ती के आधार पर की जा सकती हो? प्रमदा – आज हम ऐसी दुनिया में रहते हैं, जहाँ रोज़ ही अलग-अलग तरह की परिवार व्यवस्थाएँ बन रही हैं। अब वे दिन नहीं रहे जब जन्म देकर ही संतान पायी जा सकती थी या विवाह केवल परिवार की रजामंदी से ही होते थे या परिवार की उत्पत्ति केवल विवाह के आधार पर ही होती थी। लोगों के व्यवहार करने के तरीके में, एक दूसरे के साथ, जो उनके अन्तरंग हैं उनके साथ, द्निया के बारे में जिनके साथ साझी सोच है उनके साथ और जो स्वीकृत सामाजिक और सांस्कृतिक मान्यताओं को बदलने के लिए तैयार हैं, उनके साथ अब बदलाव आया है। इस बदलाव के कारण नए सम्बन्ध और नई साझेदारियाँ बन रही हैं। अलग-अलग तरह की यौनिक पहचान और जेंडर पहचान वाले लोग अब अन्तरंग संबंधों और यौन संबंधों में रह रहे हैं, और इसके लिए वे किसी तरह की कानूनी अनुमति लेना नहीं चाहते (कुछ मामलों में उन्होंने

आज हम ऐसी दुनिया में रहते हैं, जहाँ रोज़ ही अलग-अलग तरह की परिवार व्यवस्थाएँ बन रही हैं। अब वे दिन नहीं रहे जब जन्म देकर ही संतान पायी जा सकती थी या विवाह केवल परिवार की रजामंदी से ही होते थे या परिवार की उत्पत्ति केवल विवाह के आधार पर ही होती थी।

कानून से इसकी अनुमित मांगी है और वे इसमें सफल भी रहे हैं)। आजकल दोस्त आपसी प्रेम, देखभाल और कुछ ज़िम्मेदारियों को मिल कर निभाने के आधार पर अपने खुद के समर्थन समूह तैयार कर रहे हैं। ये नए परिवार, पारंपरिक 'परिवार' की विचारधारा की नींव हिला रहे हैं। परंपरागत परिभाषा से परे हटते हुए ये नई व्यवस्थाएँ हमें परिवार की परिभाषा के बारे में दोबारा सोचने के लिए विवश कर रही हैं और यह सोचने के लिए कि हम परिवार में किन लोगों को शामिल करें और किन लोगों को नहीं। इनसे 'पवित्रता' के बारे में सभी विचारों को भी चुनौती मिल रही है क्योंकि वर्ग, जाति और धर्म के सामाजिक वर्गीकरण के स्थान पर प्रेम और आपसी समझ पर आधारित इन नए परिवारों में 'पवित्रता' लगभग अप्रासंगिक हो गयी है।

राधिका – 'परिवार' के बारे में आपके खुद के क्या विचार हैं?

प्रमदा — परिवार के बारे में मेरी अपनी सोच हमेशा से यही रही है कि परिवार केवल जैविक संबंधों का नाम नहीं है। मुझे सही मायने में कभी भी परिवार की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं लगी क्योंकि मुझे लगता है कि बचपन से मेरे अन्दर जिन मूल्य और मान्यताओं को डाला गया था, उनसे मुझे सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से सही और गलत की वर्तमान परिभाषाओं को चुनौती दे पाने में सहायता मिली। मेरे माता-पिता की सोच भी मेरे बड़े होने के साथ-साथ विकसित होती रही क्योंकि उन्हें हमेशा ही यौनिकता के बारे में मेरी चुनौतियों का सामना करना पड़ा और बदले में, वे इन चुनौतियों से सीखने को तत्पर रहते थे क्योंकि वो मुझसे प्यार करते थे। मैंने विद्रोह किया लेकिन यह भी सीखा कि कब मुझे पीछे हटना है। मेरे लिए परिवार के अर्थ हमेशा से मेरे माता-पिता, भाई-बहन और दोस्त थे जो हमेशा मुझे अपना प्यार, समर्थन और देखभाल देने को तत्पर रहते थे, बिलकुल ऐसे ही जैसे मैं रहती थी।

आज की दुनिया में हम सभी के लिए ज़रूरी है कि हम परिवार की अपनी परिभाषा पर दोबारा विचार करें। आज की दुनिया नई तकनीकी दुनिया है। कोई भी व्यक्ति सेक्स किए बिना भी संतान पैदा कर सकते हैं और इसके लिए सेक्स की बजाय केवल एक लेबोरेटरी और एक पैट्टि-डिश की ही ज़रुरत होती है! एक ज़माना था जब मर जाने तक प्यार हमेशा बना रहता था लेकिन अब सम्बन्ध अनेक कारणों से टूटते हैं और इनमें से बहुत कम में मौत कारण बनती है। इन्टरनेट का प्रयोग होने के कारण अंतरंगता के बारे में हमारी सोच में बदलाव आया है, प्रेम के बारे में हमारे विचार बदले हैं, आज भाई-बहन गोद लिए जा सकते हैं, आज हमारे माता-पिता एक महिला और एक पुरुष या पुरुष और पुरुष या महिला और महिला या दो पुरुष और एक महिला आदि कुछ भी हो सकते हैं। अगर ऐसा है तो फिर हमें परिवार की अपनी परिभाषा के पुनर्निर्माण में कठिनाई क्यों आती है? अगर हम कल्पना करें, तो हम अपने परिवार के निर्माण के लिए अनेक तरह के क्रम-संयोजन कर सकते हैं और शायद फिर हम अपने जैविक परिवार के साथ खुश भी रह सकते हैं और साथ ही साथ अपने गैर-जैविक परिवार में भी समर्थन, देखभाल और आपसी समझ की इच्छा कर सकते हैं। मेरे लिए सही मायने में एक नए युग का प्राद्भीव तभी होगा!

अगर हम कल्पना करें, तो हम अपने परिवार के निर्माण के लिए अनेक तरह के कम-संयोजन कर सकते हैं और शायद फिर हम अपने जैविक परिवार के साथ खुश भी रह सकते हैं और साथ ही साथ अपने गैर-जैविक परिवार में भी समर्थन, देखभाल और आपसी समझ की इच्छा कर सकते हैं।

इन्टरनेट पर परिवार और योनिकता एक रिव्यु



शिखा आलेया पढ़ती हैं, लिखती हैं, सुडोकू करती हैं, बागवानी करती हैं और अपने प्रिय कुत्तों के साथ टहलती हैं। तारशी के साथ एक सलाहकार के रूप में काम करते हुए स्वास्थ्य, विकलांगता, जंडर और अधिकारों के मुद्दों पर ध्यान कंद्रित करती हैं। शिखा ने XLRI से पोस्ट-ग्रेजुएट और हिंदू कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री हासिल की है।

शिखा आलेया

यह मेरी इन्टरनेट पर भारतीय परिवारों द्वारा और 'परिवार और यौनिकता' विषय पर पोस्ट की जाने वाली सामग्री को पढ़ कर इस विषय पर चल रही लोक-चर्चा की समीक्षा करने की कोशिश है। मुझे ऐसा लगता है कि इन्टरनेट पर, जहाँ हर विषय पर असीमित जानकारी उपलब्ध रहती है, वहाँ इस चर्चा के बारे में खोज कर उसकी समीक्षा कर पाना भी सरल ही होगा। मैं गूगल सर्च इंजन में 'भारत में परिवार और यौनिकिता' टाइप कर सामग्री ढूँढने की कोशिश करती हूँ। मेरे आश्चर्य की तब सीमा नहीं रहती जब इस विषय पर मुझे कुछ भी लिखा दिखाई नहीं देता।

'परिवार' और 'यौनिकता' शब्द एक साथ लिख कर खोजने पर गूगल पर कुछ दिखाई नहीं देता। हालांकि यहाँ 'बाल यौन शोषण', 'किशोर एवं यौनिकता', 'यौन साथी की अदला-बदली करने वाले दम्पति' और 'ऐतिहासिक काल से संस्कृतियों में यौनिकता' जैसे विषयों पर अनेक अकादिमक अध्ययन दिखाई पड़ते हैं। थोड़ा और ढूँढने पर किसी व्यक्ति की यौनिकता के विभिन्न पहलुओं और उन व्यक्ति के अपने परिवार और दुनिया के साथ संबंधों पर कुछ फिल्में भी दिखाई पड़ती हैं। संभव है कि कुछ पुस्तकों की जानकारी भी यहाँ हो।

'परिवार' और 'यौनिकिता' शब्द एक साथ लिख कर खोजने पर गूगल पर कुछ दिखाई नहीं देता। हालांकि यहाँ 'बाल यौन शोषण', 'किशोर एवं यौनिकता', 'यौन साथी की अदला-बदली करने वाले दम्पति' और 'ऐतिहासिक काल से संस्कृतियों में यौनिकता' जैसे विषयों पर अनेक अकादमिक अध्ययन दिखाई पड़ते हैं।

ऐसा प्रतीत होता है कि यौनिकता या तो बहुत ही अकादिमक विषय है या फिर पूरी तरह से प्राकृतिक और अनियंत्रित और संभवत: अत्यंत व्यक्तिगत और निजी भी। परिवार का सम्बन्ध समाज, मूल्यों और सब के बीच साझा की जाने वाली वस्तुओं, विचारों और संसाधनों से है। परिवार एक बहुत ही सुरक्षित प्रतीत होने वाला शब्द है जबिक यौनिकता एक भयभीत करने वाला शब्द लगता है। सबसे सुरक्षित शब्द तो 'माता-पिता' और 'परविरश' लगते हैं। 'भारत में परविरश' और 'भारतीय माता-पिता का ब्लॉग' जैसे विषय पर खोज करने पर मेरी किस्मत ने साथ दिया और मुझे काफ़ी सामग्री दिखाई दी।

मैंने पाया कि सार्वजनिक चर्चा में 'परविरश' से संबंधित लेखों में अब 'अपनी बेटी को मासिक शुरू होने से पहले माहवारी के बारे में बताएँ' जैसे विषय भी शामिल हो गए हैं। समाचार सेवाओं के लिए लिंक की लिस्ट में मुझे स्कूल में पढ़ने वाले लड़के और लड़िकयों के बीच तुलनात्मक विश्लेषण भी देखने को मिला जिसमें इन समूहों में भावनात्मक समस्याएँ होने की सम्भावना या आशंका की तुलना की गयी थी। इस लेख से लगा कि लड़िकयों में भावनात्मक उलझनें होने की अधिक सम्भावना थी। लेकिन इसके जो कारण लेख में बताए गए थे उन्हें समझ पाना भूसे के ढेर में सुई तलाश करने जैसा था — 'इसके पीछे यह कारण हो सकता है कि लड़िकयों के मन में उस शारीरिक सौष्ठव को पाने की लालसा बहुत अधिक होती है जो सोशल मीडिया द्वारा निर्मित है और युवा महिलाओं में सेक्स या यौनिकता के प्रति बढ़ती जागरूकता का कारण होती है'। यह लेख बीबीसी द्वारा किया गया एक अध्ययन था जिसके बारे में द टाइम्स ऑफ़ इंडिया के 'पेरेन्टिंग' भाग में रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी।

परिवार और यौनिकता जैसे विषयों पर जानकारी के ये अनमोल रत्न आपको स्कूल, परीक्षा या पोषण जैसे विषयों पर लिखी जा रही जानकारी में छिपे मिल जाएंगे। इसके लिए आपको बहुत

परिवार और यौनिकता जैसे विषयों पर जानकारी के ये अनमोल रत्न आपको स्कूल, परीक्षा या पोषण जैसे विषयों पर लिखी जा रही जानकारी में छिपे मिल जाएंगे। इसके लिए आपको बहुत ही कुशलता और धैर्य से खोज करते रहना होगा।

ही कुशलता और धैर्य से खोज करते रहना होगा। 'परिवार' और 'यौनिकता' जैसे शब्दों के बीच कोई सीधा संपर्क सूत्र आपको संभवत: न मिल सके, शायद इसलिए क्योंकि ये दोनों एक ही मूल से नहीं हैं। क्या इन्टरनेट की आभासी दुनिया में जो जानकारी है वह वास्तविक दुनिया की सच्चाई दर्शाती है?

वास्तिवक दुनिया में तो हम परिवार, स्कूल, तनाव, पोषण, छुट्टियों की योजना, प्रजनन स्वास्थ्य, गर्भनियोजन, करियर, माता-पिता व् बच्चों के सम्बन्ध जैसी जीवन की अनेक महत्वपूर्ण गतिविधियों और मुद्दों पर बहुत सा समय और उर्जा व्यय करते हैं। परिवार आपस में चर्चा कर, मशवरा कर इन विषयों पर फैसले लेते हैं। मैंने बहुत से वेब-लिंक देखे और उनमें मुझे ये सब विषय दिखाई दिए –

पेरेंट्स इंडिया (http://parentsindia.com/) पर एक सामुदायिक मंच उपलब्ध करवाया गया है जहाँ माता-पिता बालों को होने वाले नुक्सान सहित अनेक विषयों पर चर्चा करते हैं। इसमें कार्यस्थल पर अनिवार्यत: पालना घर (क्रेच) सुविधा उपलब्ध कराने की याचिका के लिए लिंक दिया गया है, और डाक-टिकटों के संग्रह के बारे में भी कुछ जानकारी उपलब्ध है।

व्यायाम करने का महत्व,

वज़न कम करना.

जीवन में दादा-दादी, नाना-नानी का महत्व,

खेलों के द्वारा पिता-पुत्र में जुड़ाव,

बच्चों के कमरे की साज-सज्जा....

... और इसके अलावा कपड़े के बने पैड के विज्ञापन जैसा भी एक लेख है जिस पर किसी ने कोई टिपण्णी नहीं की थी...

घिसे-पिटे वक्तव्यों द्वारा जेंडर भूमिकाओं को सदृढ़ करते हुए यहाँ 'अपने पित से सीखने योग्य परविरश के तरीके' विषय पर एक लेख भी है। इसमें पहले से जानी-समझी बातों को दोहराया गया है जैसे कि माँ ज़रुरत से ज़्यादा सुरक्षा को लेकर फिक्रमंद होती है, पिता अपने बच्चों को जोखिम उठाने देते हैं, और जैसे कि 'पिता को अपने बच्चों के साथ मस्ती करना ज़्यादा पसंद होता है बजाय यह चिंता करने के कि खाना बना है या नहीं या फिर कपड़े प्रेस हुए हैं या नहीं'। इस लेख को पढ़ने के तुरंत बाद मुझे न्यू ऐज मॉम नाम से एक दुसरे भाग के लिए लिंक दिखाई दिया जो किसी अन्य लेख के भीतर कहीं छुपा हुआ था। इसमें लिखा था... बैंकर नेहा त्यागी का मानना है... "अपने बच्चे के साथ कड़ा अनुशासन बरतने के बेहतर है कि आप अपने बच्चे की मित्र बनें"। "मुझे ख़ुशी है कि मेरी 10 वर्षीय बेटी मेरे साथ हर बात शेयर करती है, भले ही यह अपनी क्लास के किसी साथी को आकर्षक पाने के बारे में बताना हो। इस तरह से मेरे लिए इस मित्रवत बातचीत द्वारा उस पर निगाह रख पाना आसान हो जाता है"।

आकर्षक! पारिवारिक बातचीत के लिए यह एक बहुत बढ़िया और सुरक्षित शब्द है लेकिन गर्भधारण, माहवारी, सेनेटरी पैड, गर्भिनरोध आदि नहीं। यहाँ इन्टरनेट की आभासीय दुनिया में एक 10 वर्षीय लड़की की माँ अपनी बेटी के साथ उसकी क्लास में आकर्षक दिखने वाले साथी के बारे में चर्चा कर रही है। इस विषय पर बहुत कुछ या सब कुछ नहीं दिया गया, लेकिन मैं हर छोटी से छोटी बात को भी देख रही हूँ।

अब मैं भारतीय परविरश के वेबसाइट और ब्लॉग पर जाती हूँ जो यहाँ (http://www.shishuworld.com/) उपलब्ध है। 'परविरश के बारे में 10 मुख्य मिथक' नाम से दिए गए एक लेख में मुझे पहचान के बारे में एक पैराग्राफ़ दिखाई पड़ता है। पहचान शब्द देखते ही मेरी अंगुलियाँ पेज को तेज़ी से नीचे स्क्रॉल करने लगती हैं। यहाँ लिखा है, ''मैंने बहुत से माँ-बाप को देखा है कि वे अपने बच्चों को पहचान के बारे में समझाना शुरू करते हैं और उनके लिए दीवारें खड़ी कर देते हैं। आमतौर पर ये पहचान धर्म, राष्ट्र या जाति की होती हैं। उन्हें बताया जाता है कि तुम इस पहचान के हो।" ओह, यह तो बहुत करीबी मामला था, लेकिन अभी भी उस पहचान की बात नहीं हुई है। हम थोड़ा सा ही दूर रह गए।

रिवो किंड्स बच्चों और माता-पिता के लिए एक वेबसाइट है। साईट पर अन्य

पहचान शब्द देखते ही मेरी अंगुलियाँ पेज को तेजी से नीचे स्क्रॉल करने लगती हैं। यहाँ लिखा है, ''मैंने बहुत से माँ-बाप को देखा है कि वे अपने बच्चों को पहचान के बारे में समझाना शुरू करते हैं और उनके लिए दीवारें खड़ी कर देते हैं। आमतौर पर ये पहचान धर्म, राष्ट्र या जाति की होती हैं। उन्हें बताया जाता है कि तुम इस पहचान के हो।"

भागों के अलावा 'स्वास्थ्य और सुरक्षा' विषय पर भी जानकारी दी गयी है। बच्चों की सुरक्षा के बारे में पुछा गया एक प्रश्न था, ''घर के बाहर सुरक्षा – मेरी 13 वर्ष की एक बेटी है। जब भी वो अकेली कार में जाती है तो मुझे बहुत चिंता होती है। क्या आप सुरक्षा के बारे में मुझे कुछ टिप्स दे सकते हैं जो मैं उसे बता सकूं और उसे जानकार बना सकूं"?

हालांकि यह सवाल अपने आप में अधूरा और चिंता भरा लगता है, लेकिन इसके दिए गए इस उत्तर से लगा मानो बच्चे को जानकार बनाने के सवाल को तो अनदेखा ही कर दिया गया — "सेफ्टीकार्ट जल्दी ही एक नया उपकरण बाज़ार में ला रहा है जिसमें जीपीएस सुविधा है। आप उसे अपने बच्चे के बैग में रख सकती हैं और अपने स्मार्ट फ़ोन द्वारा उसके आने-जाने का पता लगा सकती हैं। यह तब और भी सहायक हो सकता है जब आप अपने बच्चे के हाथ में स्मार्टफ़ोन न देना चाहती हों"।

अब यहाँ जो कि एक परिवार के लिए बनी वेबसाइट पर पारिवारिक चर्चा का अच्छा अवसर हो सकता था वो खिसक कर यौनिकता के धुंधले माहौल में चला गया और उसका हल मिला टेक्नोलॉजी के माध्यम से। चलिए अब जल्दी से चल कर वह जीपीएस खरीद ही लें।

पैरेंटट्यून की वेबसाइट पर पैरेंट टॉक में 'मूल्यों या नैतिकता' पर भी एक भाग है। इसे क्लिक करने पर आप स्कूलों के बारे में की जा रही बातचीत पर पहुँच जाते हैं।

तो चिलए अब चलते हैं 'नेट पर माता-पिता के समुदायों' की ओर जो यहाँ (https://www.parentous.com/) उपलब्ध है। यहाँ तो मानो मेरे हाथ सोने का खजाना लग जाता है। सबसे पहले मैं सुनीता रजवाड़े द्वारा लिखी गयी कहानी 'टॉय स्टोरी' पढ़ती हूँ। सुनीता रजवाड़े एक माँ भी हैं और दादी भी और टॉय स्टोरी कहानी में उनके अनुभव बताए गए हैं कि किस तरह घिसी-पिटी और देखी-भाली जेंडर मान्यताओं को पूरा करने वाले खिलौने बच्चों के लिए अपर्याप्त रहते हैं। वे लिखती हैं कि किस तरह उनका पोता खिलौनों की बजाय घर के मिक्सर और ग्राइंडर से खेलता है। वे कहती हैं, ''जब हम सब उसके खिलौनों के ब्लॉक्स से बिल्डिंग बना रहे होते हैं या उसकी कारों को ऊपर नीचे भगा रहे होते हैं तब वह जोर-जोर से 'गाआआआआआआआआआ...' जैसी मिक्सर की आवाज़ निकालता है जैसे कि वह मेरे असली मिक्सर में अपना काल्पनिक खाद्ध पदार्थ पीस रहा हो"।

मुझे नैंसी शर्मा द्वारा ब्लॉग पर लिखा गया लेख 'तीन चीज़ें जो वह अपनी बेटी को नहीं सिखाएगी' पढ़कर अच्छा लगा। इनमें से एक चीज़ है वे निषिद्ध बातें जो माहवारी के साथ जुड़ी हैं। वे लिखती हैं, "मैं नहीं चाहती कि वो मंदिर के बाहर केवल इसलिए खड़ी रहे क्योंकि उसे माहवारी हो रही है। मैं चाहती हूँ कि वो इसे माने कि महीने-दर-महीने मासिक आना हर महिला के लिए सामान्य और स्वास्थ्यकारी है। और इन दिनों वो जो चाहे काम कर सकती हैं।"

जेंडर स्टीरियो-टाइपिंग विषय पर गौरी वेंकिटारमण लिखते हुए कहती हैं, ''आजकल

हर एक को ऐसा महिला शरीर पसंद है जिसमें उभरा हुआ वक्ष हो, स्तनों के बीच का अंतराल दीखता हो, जाँघों में दूरी हो, और भी न जाने क्या-क्या। वहीँ दूसरी ओर 6 पैक, 8 पैक या और भी अधिक वाले मांसल सीने, बाजूओं, जांधों और हर जगह से

अगर हमारे यहाँ परिवार के बारे में संकल्पना ना के बराबर या बहुत कम है तो हम परिवार और यौनिकता पर बातचीत या चर्चा कैसे शुरू करें? परिवार की अवधारणा पर फिर से विचार करने की ज़रुरत है और यौनिकता पर तो बहुत ज़्यादा सोच-विचार किया जाना होगा।

उभरती दिखती मांसपेशि युक्त पुरुष शरीर की छिव भी दिखती है। ऐसे महिला और पुरुषों को स्त्रीत्व और पुरुषत्व की पराकाष्ठा कहा जाता है। हमें तो मकादामिया और पेकैन्न से स्त्रीत्व और पुरुषत्व के उनके दृष्टिकोण के बारे में बात करके बहुत मदद मिली है कि उनके विचार में स्त्रीत्व और पुरुषत्व को परिभाषित करने वाली विशेषताएं कौन सी होती हैं?" (मकादामिया और पेकैन्न उनके बेटों के नाम हैं।)

नेट पर इस सामग्री की समीक्षा करते हुए मुझे माताओं और दादी-नानी द्वारा लिखे गए विचारों को पढ़ कर बहुत ख़ुशी होती है। मुझे लगता है कि उनके ये विचार हमारे परिवारों में घट रहे उस परिवर्तन के सूचक हैं जिसके बारे में शायद अभी तक हम अनिभज्ञ हैं।

लेकिन फिर भी हैरानी होती है कि 'परिवार' या 'परिवार और यौनिकता' विषय पर बहुत कम सामग्री उपलब्ध है। आखिर परिवार क्या है? क्या माता-पिता द्वारा परवरिश किए जाने का ही दूसरा नाम परिवार है? क्या एक घर में साथ रहने वाले लोग, या आपस में सम्बन्ध रखने वाले लोग, या एक छत के नीचे रहने वाले लोग, या बिना संतान वाले शादीशुदा लोग परिवार नहीं हैं, क्या वे एक महत्वपूर्ण एकजुट समूह नहीं हैं? उन्हें तो कोई भी कुछ भी बेचने का प्रयत्न करता दिखाई नहीं पडता। कोई उनके पोषण की आवश्यकताओं, छुट्टियाँ बिताने की योजना, करियर के फैसलों पर बात करता नहीं दिखता। पर नहीं, जब जबोंग का 'बी यू' विज्ञापन (https://www.youtube.com/watch?v=9h5BFXMz XU) परिवार की बजाय प्रेम और रोमांस की नज़र से इस ओर देखता है तो यह नृत्य का एक स्टेप बन जाता है।

अगर हमारे यहाँ परिवार के बारे में संकल्पना ना के बराबर या बहुत कम है तो हम परिवार और यौनिकता पर बातचीत या हमें यह समझना ही होगा कि परिवार और यौनिकता कैसे एक दुसरे पर प्रभाव डालते है, क्योंकि प्रभाव तो निश्चित रूप से होता ही है। हमें ज़रुरत है कि हम इस विषय पर, वास्तविक दुनिया में और इन्टरनेट की आभासीय द्निया के पटल पर, दोनों जगह चर्चा करें।

चर्चा कैसे शुरू करें? परिवार की अवधारणा पर फिर से विचार करने की ज़रुरत है और यौनिकता पर तो बहुत ज़्यादा सोच-विचार किया जाना होगा। हमें इन दोनों अवधारणाओं को साथ लाना ही होगा। हमें यह समझना ही होगा कि परिवार और यौनिकता कैसे एक दुसरे पर प्रभाव डालते है, क्योंकि प्रभाव तो निश्चित रूप से होता ही है। हमें ज़रुरत है कि हम इस विषय पर, वास्तविक दुनिया में और इन्टरनेट की आभासीय दुनिया के पटल पर, दोनों जगह चर्चा करें।

बाल और जल्द विविह पर एक विश्लेषण



निरंतर एक नारीवादी संस्था है जो 1993 से जेंडर और शिक्षा के मुद्दों पर सक्रिय रूप से कार्य कर रही है। निरंतर के कार्य की मुख्य गतिविधयां है – समुदाय स्तर पर काम, शैक्षिणक सन्दर्भ सामग्री निर्माण, शोध, पैरवी और प्रशिक्षण के द्वारा निरंतर अपने उदेश्यों की ओर बढ़ता रहा है। निरंतर महिला आन्दोलन और अन्य लोकतान्त्रिक अधिकारों से जुड़े आंदोलनों का हिस्सा रहा है।

निरंतर

2013-2014 में निरंतर ने बाल और जल्द विवाह पर एक अध्ययन किया। इसमें हमने इस मुद्दे का नारीवादी नज़िरए से विश्लेषण किया है। इस अध्ययन में हमें समझ आया कि जेंडर और यौनिकता संबंधी सामाजिक-सांस्कृतिक नियम-कायदे किस तरह कम उम्र में विवाह और बाल विवाह की वर्तमान प्रथा को पोषित करते हैं और लंबे समय से कायम सामाजिक असमानताओं और सत्ता सरंचनाओं को पुख्ता करती है।

कम उम्र में शादी लड़कों और लड़िकयों दोनों को ही अपनी ज़िंदगी के बारे में अहम फैसले लेने से रोकती है, उन्हें मूलभूत आज़ादी का उपयोग करने से रोकती है, उन्हें शिक्षा, आजीविका के साधन और यौन स्वास्थ्य व अधिकार आदि प्राप्त करने की संभावनाओं से वंचित कर देती है। मोटे तौर पर इस प्रथा का गहरा जुड़ाव वर्ग, धर्म, जातिवाद आदि विभिन्न व्यवस्था से है जो अलग-अलग स्तर पर सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक असमानताओं को और पुख्ता करने का काम करती हैं। इस जटिलता के बावजूद इस मुद्दे पर होने वाली चर्चाओं में शादी के उम्र तक ही बात सीमित रहती है। केवल उम्र पर ध्यान देने की नीति पहली बार अंग्रेज़ों के द्वारा उपयोग में लाई गयी थी और तब से वर्तमान में होनी वाली चर्चा में काफ़ी

कम उम्र में शादी लडकों और लड़िकयों दोनों को ही अपनी ज़िंदगी के बारे में अहम फैसले लेने से रोकती है, उन्हें मूलभूत आज़ादी का उपयोग करने से रोकती है, उन्हें शिक्षा, आजीविका के साधन और यौन स्वास्थ्य व अधिकार आदि प्राप्त करने की संभावनाओं से वंचित कर देती है।

समानता दिखती है। 100 साल पहले इस मुद्दे पर चल रही चर्चा और काम से हमें कुछ महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक बिंदु विरासत में मिले है – स्वास्थ्य से जुड़े तर्क, और उम्र और कानून पर संकीर्ण फोकस। इस संदर्भ में महिलाओं के सशक्तिकरण, सहमति और इच्छा की अहमियत और चुनाव के सवाल से ध्यान हट जाता है। इस इतिहास का एक मुख्य सबक यह है कि हमें आज के विमर्श का विस्तार करना होगा और अतीत के मुकाबले एक अलग नज़र से देखना होगा।

कम उम्र में विवाह और बाल विवाह एक बेहद विखंडित और असमान समाज का लक्षण है। जब भी यह पूछा गया कि लोग अपने बच्चों की कम उम्र में शादी क्यों करते हैं तो 'दहेज़', 'गरीबी' और 'यौन हिंसा का डर' आदि कारण सबसे ज़्यादा सुनाई दिए। मुमिकन है कि ये कारण शादी से जुड़े फ़ैसलों को निर्धारित करने में भूमिका निभाते हों, मगर यह इस प्रथा के असली कारण या मूल कारण

नहीं हैं। हमारी राय में इस प्रथा पर इस लिहाज़ से नज़र डाली जाए कि वह अपने ढाँचागत मूल कारणों के साथ किस तरह जुड़ी है तो हमारे सामने कई नए सवाल उठ खड़े होंगे। हमने कम उम्र में विवाह और बाल विवाह के साथ बुनियादी कारणों को चिंहित किया है – शादी का अर्थशास्त्र; यौनिकता; जेंडर के कायदे-कानून और मर्दानगी, शैक्षिक एवं संस्थागत ढाँचे का अभाव; शादी की केन्द्रीयता; जोखिम, असुरक्षा और अनिश्चितता, सत्ता की धुरी के रूप में उम्र की भूमिका।

समाजीकरण की प्रक्रिया में महिलाओं को इस बात का यकीन दिलाया जाता है कि समाज में उनकी मुख्य भूमिका औरों के प्रसंग में ही है – एक बेटी के रूप में, एक बहु के रूप में, एक माँ के रूप में। पुरषों के लिए जेंडर के कायदे-कानून मर्दानगी के इर्द-गिर्द बंधे होते हैं और एक मर्द का गौरव औरतों, ख़ासतौर से बेटियों को काबू कर पाने के उसके सामर्थ्य पर टिका होता है। जब तक बेटी की शादी नहीं होती, उसकी सुरक्षा और उसकी यौन पवित्रता बाप की मर्दानगी की निशानी बनी रहती है। अपनी बेटी पर काबू न

जब भी यह पूछा गया कि लोग अपने बच्चों की कम उम्र में शादी क्यों करते हैं तो 'दहेज़', 'गरीबी' और 'यौन हिंसा का डर' आदि कारण सबसे ज्यादा सुनाई दिए। मुमकिन है कि ये कारण शादी से जुड़े फ़ैसलों को निर्धारित करने में भूमिका निभाते हों, मगर यह इस प्रथा के असली कारण या मूल कारण नहीं हैं।

रख पाना एक मर्द के लिए पूरी बिरादरी में शर्मिंदगी और बेदखली का सबक बन सकता है। इसके चलते भी वह अपनी लड़िकयों को जल्दी से जल्दी ब्याह देना चाहते हैं।

महिलओं की यौनिकता एक ऐसे समाज के लिए बहुत केंद्रीय सवाल है जो पितृसत्तात्मक भी है और वर्ग व जाति की रेखाओं पर भी बंटा हुआ है। संपदा के उत्तराधिकार को सीमित करने और 'जातीय शुद्धता' को कायम रखने के लिए महिलाओं की यौनिकता और उनकी प्रजनन क्षमता पर अंकुश रख कर इन विभाजक रेखाओं को कायम रखा जाता है।

पितृसत्तात्मक भारतीय समाज औरतों को एक आर्थिक बोझ के रूप में देखता है। शादी के बहाने यह बोझ ससुराल को सौंप दिया जाता है। ऐसे में इस बोझ को उठाने में सहारा देने के लिए लड़की के परिवार से दहेज की उम्मीद की जाती है। गरीबी से जूझ रहे परिवारों के लिए यह एकमुश्त खर्च बहुत भारी पड़ता है। इसलिए लड़की की शादी से जुड़े फैसले इस खर्च को कम से कम करने की इच्छा से तय होते हैं। परिवार के भीतर असमान श्रम विभाजन और लड़की की शादी के बारे में लिए गए फैसले में एक पहलु उसके श्रम की भूमिका भी है। पितृसत्ता सुनिशचित करती है कि आर्थिक लेन-देन में नवविवाहिता के श्रम का मुल्य कम से कम आँका जाए और लड़की व उसके परिवार की मोलभाव क्षमता छीन ली जाए।

महिलओं की यौनिकता एक ऐसे समाज के लिए बहुत केंद्रीय सवाल है जो पितृसत्तात्मक भी है और वर्ग व जाति की रेखाओं पर भी बंटा हुआ है। संपदा के उत्तराधिकार को सीमित करने और 'जातीय शुद्धता' को कायम रखने के लिए महिलाओं की यौनिकता और उनकी प्रजनन क्षमता पर अंकुश रख कर इन विभाजक रेखाओं को कायम रखा जाता है। यौनिकता के प्रति कुल मिलाकर रवैया नकारात्मक रहा है। शर्मिंदगी की आशंका के बिना किशोरों की यौनिकता और उनकी चाहतें, तमन्नाओं को मान्यता देने की कोई गुंजाईश नहीं है। इस सोच का नतीजा यह है कि किशोर किशोरियाँ खुद भी शादी से पहले यौन संभंध को एक विकल्प के रूप में नहीं देखते और कभी-कभी इन्हीं चाहतों को पूरा करने के लिए कम उम्र में शादी की इच्छा करने लगते हैं या शादी के लिए राज़ी हो जाते हैं। चूँकि ये कायदे-कानून एक बहुत सख्त माहौल पैदा कर देते हैं इसलिए जो माँ-बाप नियंत्रण

बेशक कुछ युवा
'प्रेम विवाह' के भी
ख्वाब देखते हैं, मगर
बहुत सारे दूसरों के
लिए शादी अपनी
यौन इच्छाओं को
संतुष्ट करने या आनेजाने की और दूसरी
आज़ादी पाने का
ज़रिया होती है जो
केवल वयस्कों को
हासिल होती है।

चाहते हैं और जो युवा अपनी यौन इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं उनके पास शादी करने के अलावा कोई चारा नहीं बचता।

चूँकि सामाजिक कायदे-कानून सभी से उम्मीद रखते हैं और शादी बहुत सख्त नियमों से बंधी होती है, इसलिए परिवारों को इस बात का डर रहता है कि कहीं ऐसा न हो कि बाद में उनके बच्चों की 'आदर्श' शादी न हो पाए या उन्हें 'आदर्श' जोड़ीदार न मिल पाए। ऐसी स्थितियों में जल्दी से जल्दी शादी करके माँ-बाप अपने बच्चों का भविष्य सुनिश्चित कर देना चाहते हैं। शादी हमारे जीवन का इतना

इन सामाजिक स्थिति के साथ ही लगातार बढ़ती और गहन अनिश्चितता, जिसके कई कारण होते है – जैसे आर्थिक संकट, प्राकृतिक आपदा, पलायन इत्यादि, में जीवनयापन करने वाले बहुत सारे परिवारों के लिए भविष्य को लेकर एक बहुत गहरी बेचैनी रहती है कि "कौन जाने कल क्या होगा!" – गरीबी, कृषि संकट और प्रवसन जैसे संचारात्मक कारक बहुत गंभीर और ज़िन्दगी बदल डालने वाले हालात के प्रति परिवारों की असुरक्षा को और बढ़ा देते हैं।

केंद्रीय हिस्सा मान ली गई है कि नववयस्क इसके लिए बहुत उत्सुक होतें हैं। बेशक कुछ युवा 'प्रेम विवाह' के भी ख्वाब देखते हैं, मगर बहुत सारे दूसरों के लिए शादी अपनी यौन इच्छाओं को संतुष्ट करने या आने-जाने की और दूसरी आज़ादी पाने का ज़रिया होती है जो केवल वयस्कों को हासिल होती है।

युवाओं, खासतौर से बच्चों को नादान और निर्दोष समझा जाता है जिनके पास अपना जिम्मा उठाने की क्षमता नहीं होती। यही वजह है कि समाज उन्हें किसी भी तरह के नुकसान से बचाने के तरीके ईजाद करता है। बहुत सारे मामलों में इसी आधार पर स्वेछा से कम उम्र में शादी करने वाले युवाओं को एक-दुसरे से अलग कर दिया जाता है जबकि यही स्थिति उस वक़्त समस्याप्रद नहीं रहती जब माँ-बाप की मर्ज़ी, सामाजिक कायदे कानूनों के मुताबिक और

सामाजिक सीमाओं के भीतर ऐसा किया जाता है।

इन सामाजिक स्थिति के साथ ही लगातार बढ़ती और गहन अनिश्चितता, जिसके कई कारण होते है – जैसे आर्थिक संकट, प्राकृतिक आपदा, पलायन इत्यादि, में जीवनयापन करने वाले बहुत सारे परिवारों के लिए भविष्य को लेकर एक बहुत गहरी बेचैनी रहती है कि ''कौन जाने कल क्या होगा!" – गरीबी, कृषि संकट और प्रवसन जैसे संचारात्मक कारक बहुत गंभीर और ज़िन्दगी बदल डालने वाले हालात के प्रति परिवारों की असुरक्षा को और बढ़ा देते हैं। ऐसी स्थितयों में शादी एक बेहद अस्थिर माहौल में निश्चितता और आश्वासन का बोध देती है।

बाल और कम उम्र में शादी के इन मूल कारणों को पढ़ के यह सवाल उठ सकता है कि फिर इस मुद्दे पर काम कैसे किया जाए। हमारे पास जवाब नहीं है, लेकिन हमारा मनना है कि ऊपर लिखे गए कारकों के बारे में समाज में खुली चर्चा करने से ही उपाय अपनेआप समझ आने लगेगा।

महिलाओं का विवाह पश्चात् प्रिवसन

और उससे जुड़े कुछ मुद्दे



जेंडर, यौनिकता और अधिकारों के क्षेत्र में दीपिका श्रीवास्तव की गहन रुचि और प्रशिक्षण के लिए उनका जुनून, अक्सर उन्हें ऐसे मौके प्रदान करता है जहाँ वे, भारत एवं ग्लोबल साउथ में प्रचलित, यौनिकता की समझ को विखंडित कर पाती हैं। यौनिकता एवं जेंडर के मुद्दों के साथ-साथ वे स्वयं की देखभाल और मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों के महत्व में मज़बूत विश्वास रखती हैं। यूँ तो विवाह और उससे जुड़े महिलाओं के 'स्थान परिवर्तन' को 'प्रवसन' का दर्ज़ा दिया ही नहीं जाता है, इसको एक अपरिहार्य व्यवस्था की तरह देखा जाता है जिसमें पत्नी का स्थान पति के साथ ही है, चाहे वो जहाँ भी जाए।

दीपिका श्रीवास्तव

भारत और कई अन्य विकासशील देशों में ये कोई बड़ा रहस्य नहीं है कि विवाह से जुड़े प्रवसन की जब बात होती है तो मायने महिला के प्रवसन से ही होता है, भले ही वह एक घर से दूसरे घर में हो, एक शहर से दूसरे शहर या एक देश से दूसरे देश में हो। यहाँ यह सवाल भी अपना अस्तित्व खो देता है कि किस तरह विवाह की व्यवस्था में किसी पुरुष को अपने परिवार, अपने समर्थन तंत्र, अपने दोस्त, अपनी पहचान के किसी भी हिस्से का त्याग करके पत्नी के घर प्रवास करने की 'संस्कृति' नहीं है। यदि कोई पुरुष ऐसा करना भी चाहें तो यह तुरंत ही नामंजूर कर दिया जाता है और यदि, फ़िर भी, कोई पुरुष इस व्यवस्था को चुनौती देना चाहते हैं तो वे यह अच्छी तरह जानते हैं कि उन्हें यह सिद्ध करना होगा कि उनका यह फ़ैसला उनके 'पुरुषत्व' की 'कमी' की वजह से नहीं है।

यूँ तो विवाह और उससे जुड़े महिलाओं के 'स्थान परिवर्तन' को 'प्रवसन' का दर्ज़ा दिया ही नहीं जाता है, इसको एक अपिरहार्य व्यवस्था की तरह देखा जाता है जिसमें पत्नी का स्थान पित के साथ ही है, चाहे वो जहाँ भी जाए। पूर्वी एशियाई देशों में, 1980 के दशक के बाद से एक बड़ी संख्या में महिलाओं के विवाह पश्चात् प्रवसन का चलन देखा गया है जिन्हें 'फॉरेन ब्राइड' या विदेशी वधु के नाम से

एक घर में महिला के योगदान को पित्रसत्तात्मक समाज में भले ही कोई ख़ास दर्ज़ा ना दिया गया हो, महिला के इस अवैतनिक काम की अपेक्षा हमेशा ही रही है और स्वेच्छा से या विवाह जैसी व्यवस्था द्वारा, महिलाओं को इस अपेक्षा पर खरा उतरना पड़ता है।

जाना जाता है। इन देशों की लिस्ट में भारत के साथ जापान, चीन, ताइवान, सिंगापुर, कोरिया, नेपाल जैसे कई देशों के नाम हैं। यदि विवाह से जुड़े प्रवसन को कुल प्रवसन के आकड़ों के साथ जोड़ा जाए तो शायद ये महिलाओं का सबसे बड़ा प्रवसन होगा।

एक घर में महिला के योगदान को पित्रसत्तात्मक समाज में भले ही कोई ख़ास दर्ज़ा ना दिया गया हो, महिला के इस अवैतनिक काम की अपेक्षा हमेशा ही रही है और स्वेच्छा से या विवाह जैसी व्यवस्था द्वारा, महिलाओं को इस अपेक्षा पर खरा उतरना पड़ता है। विवाह से जुड़े प्रवसन के लिए भारत और कई अन्य दक्षिण-एशियाई देशों में लड़िकयों को बचपन से ही तैयार करना शुरू कर दिया जाता है, एक

बहुत ही दृढ सन्देश के साथ कि "भले ही इस घर में तुम्हारा जन्म हुआ है पर तुम्हारा घर कहीं और है"। "उस घर जाएगी तो क्या करेगी ये लड़की", इस सवाल का भार लिए लगभग हर लड़की अपने आप को एक अनदेखे भविष्य के लिए तैयार करती रहती है। हालाँकि विवाह के बाद हर लड़की या महिला अपने जन्म के घर से दूर नहीं जाती, हाँ पर दूरी इतनी अवश्य होती है कि जन्म के परिवार से उनका रोज़मर्रा का संपर्क और संवाद टूट जाता है। प्रवसन की इस व्यवस्था में चार चाँद लग जाते हैं, जब लड़का विदेश में बसा हो। यहाँ शादी से पहले विदेश में बसने वाली एन आर आई या प्रवासी लड़की का मुद्दा विचारनीय नहीं है, क्योंकि माना जाता है कि यदि लड़की विदेश में बस गई है तो उनकी आशाओं पर कोई 'देशी पुरुष' क्यों ही खरा उतरेगा!

भारत में आज भी अधिकतर विवाह परिवार वालों द्वारा तय किए जाते हैं जहाँ लड़के-लड़की को एक दूसरे को ठीक तरह से जान पाने का मौका विवाह के बाद ही मिल पाता है। इस बात का यह अर्थ नहीं है कि परिवार वाले अपनी लडिकयों के हित के बारे में नहीं सोचते. पर यह अवश्य ही लड़िकयों के अपने जीवन पर पूर्ण अधिकार ना होने को दर्शाता है। विवाह के मामले तय करते समय फ़ैसला जाति, धर्म, वर्ग, सांस्कृतिक मान्यताओं को ध्यान में रखकर लिया जाता है, और कम ही मामलों में लड़के-लड़की की मर्ज़ी को एहमियत दी जाती है। चुँकि विवाह हर व्यक्ति के जीवन के लक्ष्य के रूप में देखा जाता है, कुछ मामलों में पाया गया है कि केवल विवाह करने के लिए परिवार

विवाह के मामले तय करते समय फैसला जाति, धर्म, वर्ग, सांस्कृतिक मान्यताओं को ध्यान में रखकर लिया जाता है, और कम ही मामलों में लड़के-लड़की की मर्ज़ी को एहमियत दी जाती है। . . . कुछ मामलों में पाया गया है कि केवल विवाह करने के लिए परिवार वाले लड़के की अप्रवासन स्थिति (यदि वह विदेश में बसा है तो), रोज़गार, कमाई, संपत्ति, आदि की गलत या अध्री जानकारी देते हैं।

वाले लड़के की अप्रवासन स्थिति (यदि वह विदेश में बसा है तो), रोज़गार, कमाई, संपत्ति, आदि की गलत या अधूरी जानकारी देते हैं। किसी एनआरआई या किसी बड़े शहर में नौकरी कर रहे लड़के से विवाह के प्रस्ताव को कोई भी आसानी से नहीं जाने देना चाहता है। बेहतर जीवन की आशा में अक्सर लड़िकयाँ और उनके परिवार वालों का उतावलापन उन्हें उन साधारण बातों को नजरंदाज करने पर मजबूर कर देता है जो आम तौर पर कोई भी रिश्ता तय करते समय देखी जानी चाहिए। दुर्भाग्यवश जब तक लड़की या उनके परिवार वाले इस सच्चाई को पूरी तरह जान पाते हैं तब तक देर हो चुकी होती है और अक्सर लड़कियों के पास हालात से समझौता करने के अलावा कोई विकल्प नहीं रह जाता।

चूँकि विवाह के पश्चात् महिला अपने जन्मस्थान से दूर चली जाती है, इसका एक बड़ा असर उनके शिक्षा के स्तर पर भी देखा जा सकता है। कई लड़िकयों एवं महिलाओं को विवाह तय होते ही पति द्वारा विवाह के तुरंत बाद पत्नी को छोड़ कर वापस विदेश चले जानाः कभी कोई संपर्क ना रखना; पत्नी को साथ तो ले जाना पर एअरपोर्ट पर उन्हें छोड़ देना या यदि पत्नी स्वयं पति से मिलने जाए तो उन्हें सही पता ना देना या एअरपोर्ट लेने ना जाना; यदि पत्नी साथ रह रही हों, तो उनके या बच्चों के कागज़ात पूरे ना करवाना, उनका या बच्चों का पासपोर्ट अपने पास रखना . . .

ऐसे में 'विदेशी ज़मीन' पर जीवन और भी अभिभूत कर देने वाला हो सकता है। अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ देनी पड़ती है। यदि विवाह के पश्चात् महिला विदेश में जाकर बसने वाली हों तो हो सकता है कि उनकी अब तक की पढाई और डिग्री नए देश में कोई मायने ना रखती हो। शिक्षा की कमी या डिग्री और अनुभव को मान्यता ना मिलने का असर महिला की स्वायत्तता पर पड़ता है जो उनके खिलाफ़ हिंसा पर

सीधा असर डालता है। हो सकता है कि वहाँ का खाना, कपड़े, विचार शैली और अन्य सांस्कृतिक पहलू महिला के विवाह के पहले के जीवन से बिलकुल अलग हों। हो सकता है महिला विवाह के बाद जहाँ रहने जा रही हों, उन्हें वहाँ की भाषा का कोई ज्ञान ना हो, ऐसे में दूसरे लोगों से बात-चीत करना, उन्हें या उनकी संस्कृति, उनके रहन-सहन को समझना और नए दोस्त बनाने में महिला को कठिनाई हो सकती है। इस स्थिति में महिला पूरी तरह केवल अपने पित और ससुराल के परिवार पर ही निर्भर रह जाती हैं और अपने लिए नया समर्थन तंत्र बनाने में असमर्थ होती हैं। अक्सर इस सांस्कृतिक अलगाव के कारण महिलाएँ स्वयं को असहाय महसूस करने लगती हैं, विशेषकर तब जब वे घरेलू हिंसा या नज्दीकी साथी द्वारा हिंसा का शिकार हो। ऐसे में 'विदेशी ज़मीन' पर जीवन और भी अभिभृत कर देने वाला हो सकता है।

एन आर आई विवाह पश्चात् मामलों में हिंसा की यह फेहरिस्त और भी लम्बी हो जाती है। पित द्वारा विवाह के तुरंत बाद पत्नी को छोड़ कर वापस विदेश चले जाना; कभी कोई संपर्क ना रखना; पत्नी को साथ तो ले जाना पर एअरपोर्ट पर उन्हें छोड़ देना या यदि पत्नी स्वयं पित से मिलने जाए तो उन्हें सही पता ना देना या एअरपोर्ट लेने ना जाना; यदि पत्नी साथ रह रही हों, तो उनके या बच्चों के कागजात पूरे ना करवाना, उनका या बच्चों का पासपोर्ट अपने पास रखना, जिससे

बातों की झड़ी

वे हमेशा पित या पिरवार वालों के नियंत्रण में रहें, ऐसे कई मामलों के बारे में हम अक्सर ही अख़बारों में पढ़ते रहते हैं। कुछ मामलों में ये भी देखा गया है कि जब पत्नी विदेश पहुँचती हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनके पित पहले से ही विवाहित हैं और ये विवाह उन्होंने पिरवार वालों का 'दिल रखने' के लिए किया था या ये सोच कर किया था कि उन्हें एक नौकरानी मिल जाएगी।


मेरी एक करीबी रिश्तेदार की शादी एक व्यवसाई के साथ तय हुई जो सिंगापुर में अपने परिवार के साथ रहते थे। लड़का प्रवासी भारतीय (नॉन रेसिडेंट इंडियन) था इसलिए परिवार में ख़ासा उत्साह था। लड़के वालों को विवाह की जल्दी थी और लड़की के अलावा उनकी कोई 'मांग' नहीं थी, जो आज के समय में अपनेआप में ही बड़ी बात थी. इसीलिए चट-मंगनी-पट-ब्याह हो गया। शादी के बाद लड़की के परिवार वालों का उनसे संपर्क केवल फ़ोन के ज़रिए ही रहता था, जिसमें आधा समय लड़के की माँ और बहन से बात करने में निकल जाता था और बाकी का, अन्य औपचारिकताओं में। लड़की के मायके वालों की लड़की और उनके ससुराल वालों से शादी के बाद पहली मुलाकात होली पर हुई जब वो सभी भारत आए, और साथ आई शिकायतों की लम्बी लिस्ट। शुरुआत इससे हुई कि लड़की को खाना बनाना नहीं आता, ''अरे अगर विदेश में शादी करनी थी तो वहाँ का खाना बनाना भी तो सीखना था ना"। और फिर इस सिलसिले का अंत हुआ दो साल बाद जब लड़की ये कह कर मायके आ गई कि उनकी माँ की हालत बहुत ख़राब है। असलियत तब पता चली कि उन लोगों को शायद घरेलू काम के लिए कोई चाहिए था और शादी करके बहु घर ले आना उनको इसका एक सस्ता उपाय लगा। लड़की ने बताया कि जब पति और परिवार के अन्य सदस्य कहीं बाहर जाते थे तो उन्हें घर में बंद रखा जाता था और उन्हें मानसिक रूप से परेशान किया जाता था। इसके बाद तलाक के लिए मामला कोर्ट में गया, पर कोर्ट की

कार्यवाही आगे तब बढ़ती जब लड़का कोर्ट में हाज़िर होता। हार कर लड़की के घर वालों ने लड़के वालों के साथ कोर्ट के बाहर समझौता कर लिया और लड़के वालों ने किसी भी निर्वाह-व्यय (ऐलमोनी) ना देने की शर्त पर आपसी सहमित से तलाक की कार्यवाही पूरी कर दी। इन सब परिस्थितियों ने हमारे परिवार को एक बड़ी सीख दी कि शादी विवाह के रिश्ते तय करते समय सतर्कता बरती जाए, विशेषकर तब जब महिला की पहुँच अपने मायके के समर्थन तंत्र तक ना हो। जल्दबाज़ी में और किसी के दबाव में निर्णय ना लें; मामलों को दूर से फ़ोन पर या ईमेल पर तय ना करें; किसी भी एजेंट, दलाल, बिचौलिए या रिश्तेदार पर आँख बंद करके भरोसा ना करें; यदि विवाह के पश्चात् विदेश जाना हो तो अपने सारे कागज़ पूरे होने के बाद ही जाएँ; विवाह का कानूनी पंजीकरण या रिजस्ट्रेशन ज़रूर करवाएँ।

यूँ तो विवाह के संस्थान पर हमें इतनी आस्था होती है, हम अक्सर विवाह की तैयारियों को केवल साज-सजावट और अपने नए घर को सवारने से जुड़ी तैयारी ही समझते हैं, जबिक ये अन्य तैयारियाँ भी उतनी ही ज़रूरी हैं। कोशिश करें कि विवाह के बाद महिला जिस शहर में रहने वाली हों, उस शहर में उनका एक बैंक खाता हो जिससे आवश्यकता पड़ने पर उन तक आर्थिक मदद पहुँच सके। उस शहर या देश के आपातकालीन नंबरों की जानकारी रखें जिससे समय आने पर महिला उसका उपयोग कर सकें। कोशिश करें की महिला जिस शहर या देश में जा रही हों वहाँ की भाषा का उनको कुछ ज्ञान हों। ये सभी सुझाव इस बात की ओर संकेत हरिगज़ नहीं करते की हर विवाह का अंजाम वैसा ही होता है जैसा मेरी इन रिश्तेदार के साथ हुआ, पर यह निश्चित करते हैं कि यदि ज़रुरत पड़ी तो महिला किसी पर आश्चित ना हों। इतना सब ध्यान रखने के बाद भी इस बात की कोई गारंटी नहीं होती कि हर रिश्ता कामयाब रहेगा।

विवाह से ज्ड़ा प्रवसन हर किसी के लिए एक अलग माएने रखता है, किसी के लिए ये उनके और उनके परिवार के गरीबी से निकलने का रास्ता है, तो किसी के लिए एक सुनहरे भविष्य की झलक, किसी के लिए एक बंदिश भरी ज़िन्दगी से बाहर आज़ादी की सांस है तो किसी के लिए जीवन का बस एक और अध्याय।

विवाह से जुड़ा प्रवसन हर किसी के लिए एक अलग माएने रखता है, किसी के लिए ये उनके और उनके परिवार के गरीबी से निकलने का रास्ता है, तो किसी के लिए एक सुनहरे भविष्य की झलक, किसी के लिए एक बंदिश भरी ज़िन्दगी से बाहर आज़ादी की सांस है तो किसी के लिए जीवन का बस एक और अध्याय। विवाह और प्रवसन का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है महिला की इस व्यवस्था में एजेंसी, उनकी स्वायत्तता और अपने और अपने परिवार के लिए निर्णय लेने की क्षमता। जहाँ पत्नी के रूप में एक कामोत्तेजक, आकर्षक युवती के साथ घर को निपुणता से सँभालने वाली की इच्छा रखी जाती हो वहाँ महिला की एजेंसी एक ऐसा सवाल है जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता है। इस बात को अभी और समझने की आवश्यकता है कि विवाह से जुड़ा प्रवसन महिला के लिए सिर्फ़ एक सुनहरा सपना है या इस यथार्थता में महिला के अधिकार की खुशबू भी है।



दीपा रंगनाथन एक अंशकालिक लेखिका, पूर्णकालिक पाठक और सिक्रयतावादी हैं। वह एक ब्राउन, सेक्स-पॉजिटिव नारीवादी के रूप में पहचान रखती हैं और ब्लॉग लिखना पसंद करती हैं। वे नारीवादी, कामुक साहित्य में गहरी रुचि रखती है। वर्तमान में, वह युवा नारीवादी आयोजन का समर्थन करने वाले FRIDA द यंग फेमिनिस्ट फंड के साथ काम कर रही हैं।

निसंदेह यह लेख विवाह की निंदा करने के बारे में नहीं है। या उन लोगों के ख़िलाफ़ नहीं है जो विवाहित हैं या विवाह करने का फ़ैसला करते हैं। या उन परिवारों के ख़िलाफ़ जो विवाह के संस्थान या विचार में भागिदार हैं। यह लेख इस बात को प्रतिबिंबित करता है कि आप चाहे कितनी भी सफलताओं एवं संतुष्टियों की ऊँचाइयों को छू लें फिर भी व्यक्ति का अविवाहित होना समाज को चुभता है।

मैं एक 26 वर्षीय महिला हूँ। क्या इसमें कुछ भी अद्भुत है? शायद नहीं। पर 26 वर्ष की परिपक्व उम्र में एक महिला के रूप में एकल एवं अविवाहित होना निश्चित रूप से एक अद्भृत बात है। यह वो उम्र है जहाँ महिला अपने 'उत्कृष्ट समय' को पीछे छोड़ चुकी होती हैं। एक ऐसी उम्र जब उनकी जैविक घड़ी (यानि समाज द्वारा निर्मित एक आध्यात्मिक घडी) टिक-टिक करना प्रारम्भ कर देती है। संभवतः 26 एक अमूर्त एवं यूं ही लिया गया अंक है। एक अविवाहित महिला जैसे ही 'शादी योग्य उम्र' तक पहुँचती हैं, वो समाज को चुभने लगती हैं – एक भयंकर घड़ी के रूप में। और जब मैं समाज का उल्लेख करती हूँ तो मेरा इशारा हमारे परिवारों की ओर है – वह मुख्य संस्थान जो किसी भी संस्कृति के प्रति जागरूक समाज को निर्मित करता है।

निसंदेह यह लेख विवाह की निंदा करने के बारे में नहीं है। या उन लोगों के ख़िलाफ़ नहीं है जो विवाहित हैं या विवाह करने का फ़ैसला करते हैं। या उन परिवारों के ख़िलाफ़ जो विवाह के संस्थान या विचार में भागिदार हैं। यह लेख इस बात को प्रतिबिंबित करता है कि आप चाहे कितनी भी सफलताओं एवं संतुष्टियों की ऊँचाइयों को छू लें फिर भी व्यक्ति का अविवाहित होना समाज को चुभता है। मैं एक शैक्षिक रूप से योग्य, सफ़लतापूर्वक रोज़गार करने वाली, आर्थिक रूप से आत्मिनभर महिला हूँ जिसका अपने जीवन पर (प्रकट रूप से) नियंत्रण है। एक ऐसी महिला होने के बाद भी, जिसका जीवन एक खूबसूरत तस्वीर जैसा है, मैं सामाजिक कोप से नहीं बच सकती। एक एकल महिला के रूप में, जिसने कहावत के अनुसार शादी के लड़डू को नहीं चखा है, मैं सबसे अलग हाँ। अविवाहित। उपेक्षित।

ज्यादातर, एक व्यक्ति का अविवाहित होना उनके यौनिक रूप से सक्रीय होने या न होने से काफ़ी हद तक सम्बंधित है। दिलचस्प रूप से और काफ़ी कुछ विरोधाभास के रूप में भी, समाज लोगों के यौन जीवन में गहरी रुचि रखता है। विरोधाभास इसलिए क्योंकि हमारे रूढ़िवादी समाज के लिए यह करना उसके अपने नियत सिद्धांतों के खिलाफ़ जाने जैसा है। सेक्स जो एक क्रिया के रूप में और एक पहचान के अंश के रूप में, दोनों ही रूपों में इतना निजी विषय है, वह परिवार में सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लेता है। हममें से वो जो यौन रूप से सिक्रय नहीं हैं, विवाह उनके लिए एक अंतिम लिक्षत सरहद की तरह है जहाँ वे अपने कौमार्य को सम्मानित रूप से खोकर हमेशा के लिए आनंदपूर्ण जीवन बिता सकते हैं। हममें से वो महिलाएँ जो यौन रूप से सिक्रय हैं, उनपर हमेशा परिवार का दबाव बना रहता है और उन्हें सलाह दी जाती है कि वे सिर्फ़ एक गर्लफ्रेंड या प्रेमिका बनी रहने के बजाय पत्नी बनें। दोनों में से पहली सूरत में समाज की स्वीकृति है और दूसरी के लिए उपहास, निंदा, ताने और अपरिहार्य अफ़वाहें।

कार्यस्थल पर भी, एक व्यक्ति का वेतन वृद्धि पत्र उतनी एहमियत नहीं रखता जितना उनका विवाह प्रमाणपत्र। जब उन सफ़ल एवं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर महिलाओं की बात आती है जो 'अविवाहित' की विस्तृत श्रेणी में आती हैं, तो कार्यस्थल पर भी, एक व्यक्ति का वेतन वृद्धि पत्र उतनी एहमियत नहीं रखता जितना उनका विवाह प्रमाणपत्र। जब उन सफ़ल एवं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर महिलाओं की बात आती है जो 'अविवाहित' की विस्तृत श्रेणी में आती हैं, तो पितृसत्ता की राजनीति अनगिनत तरीकों से प्रकट होती है।

पितृसत्ता की राजनीति अनगिनत तरीकों से प्रकट होती है।

पदोन्नित हुई? ठीक है पर करिअर इंतज़ार कर सकता है, विवाह नहीं। वेतन वृद्धि हुई? वो तो ठीक है पर अपने से ज़्यादा वेतन पाने वाली महिला से कौन सा मर्द विवाह करना चाहेगा? अपनी पीएचडी पूरी कर ली? चलो आखिरकार! बेहतर हो की आप विवाह कर लें; एक अधिक योग्यता प्राप्त लड़की से कौन विवाह करेगा? ये सभी जवाब विशिष्ट रूप से महिलाओं के लिए होते हैं।

जिस तरह से विवाह, उसकी केन्द्रीयता और उसके गंभीर महत्व को प्रस्तुत किया जाता है, व्यक्ति किसी भी अन्य सफ़लता का आनंद अपराध-बोध के बिना नहीं ले सकते हैं। हर बार जब भी मैंने अपने जीवन में किसी काबिल-ए-तारीफ़ चीज़ पर विचार करने की कोशिश की है, मुझे अपने अविवाहित

होने की कठोर सच्चाई को अपनाने के लिए मजबूर किया गया है।

विषमलैंगिक मानदण्डात्मक (हेटेरोनोर्मटिव) सामाजिक ढांचे का उत्कृष्ट प्रतिनिधि

परिवार, जिसमें हम रहते हैं, महिला के शादीश्दा या शादी से पहले के जीवन में बहुत दखलंदाज़ी करता है। यह महिलाओं के यौनिक जीवन में परिवार की दिलचस्पी के कारण है, जिसपर वह अपना पुरा नियंत्रण जताता है। एक अविवाहित महिला होने के नाते मेरे विवाह के पहले के जीवन में जितना हो सके उतना कौमार्य/ ब्रह्मचर्य होने की आकांक्षा की जाती है। आदर्श रूप से मेरा परिवार यही चाहेगा कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड ना हो या फिर (अगर मेरा परिवार थोडा सा भी गैर-पारम्परिक हो तो) ये उम्मीद की जाएगी कि मैं अपने रिश्ते की स्थिति के बारे में उन्हें लगातार अवगत कराती रहूँ। एक महिला साथी होने का तो सवाल ही नहीं उठता। और अपने पसंद के साथी के साथ शादी से पहले साथ रहना तो संस्कृति के ख़िलाफ़ है।


मैं हाल ही में एक अभियान के निरिक्षण एवं कार्यान्वन में शामिल रही हूँ जो विषमलैंगिक मानदण्डात्मक (हेटेरोनोर्मटिव) सामाजिक हांचे का उत्कृष्ट प्रतिनिधि परिवार, जिसमें हम रहते हैं, महिला के शादीशुदा या शादी से पहले के जीवन में बहुत दखलंदाज़ी करता है। यह महिलाओं के यौनिक जीवन में परिवार की दिलचस्पी के कारण है, जिसपर वह अपना पूरा नियंत्रण जताता है।

जल्द ही फेमिनिस्ट एप्रोच टू टेक्नोलॉजी (http://fat-net.org/) (FAT) संस्था की लड़िकयों द्वारा चलाया जाएगा। यह वह संस्था है जहाँ मैं काम करती थी, नई बातें सीखती थी और पुरानी सीखी हुई कुछ बातों को मिटाने की कोशिश करती थी।

मैं ज़बरदस्ती के सख्त खिलाफ़ हूँ। यदि मैं 19 साल की हूँ और शादी करना चाहती हूँ तो ऐसा करने का मुझे पूरा अधिकार है। ठीक वैसे ही जैसे 26 वर्ष के होने पर शादी ना करने की चाह रखने का अधिकार। FAT सुविधाहीन परिवारों की लड़िकयों को फ़ोटोग्राफ़ी और फ़िल्म बनाना सिखाती है, जिससे वे अपने तकनीकी हुनर का उपयोग करके अपने खुद के अभियान चला सकें, उन फ़िल्मों का प्रयोग करके जिन्हें वे खुद बनाती हैं। ये घरेलु कामगार और निर्माण कर्मियों की बेटियाँ हैं जो सुबह 4 बजे उठती हैं और स्कूल और कॉलेज तक पहुँचने के लिए निरंतर संघर्ष करती हैं। दूसरी ओर हूँ मैं – इकीसवीं सदी की एक उच्चजातीय, मध्यम वर्गीय, साक्षर एवं शिक्षित महिला। हालाँकि, जो हमें साथ में बांधता है, वो यह समाज है जिसकी हम सब उपज हैं। दबाव हम

सब पर एक जैसे ही हैं, पर उनकी अभिव्यक्ति अलग है। अविवाहित महिला के रूप में हमारे संघर्ष आश्चर्यजनक रूप से समान हैं। हमारी सबसे बड़ी जंग हमारे घरों के अंदर लड़ी जाती है।

शायद किसी दिन मैं शादी करना चाहूँ। उनसे जिनकी मेरे जीवन में एहमियत हो, और जिनके साथ मैं अपना पूरी जीवन बिताना चाहूँ। शायद एक ऐसे तरीके से जिसमें दबाव कम हो और संतोष ज्यादा। मैं ज़बरदस्ती के सख्त खिलाफ़ हूँ। यदि मैं 19 साल की हूँ और शादी करना चाहती हूँ तो ऐसा करने का मुझे पूरा अधिकार है। ठीक वैसे ही जैसे 26 वर्ष के होने पर शादी ना करने की चाह रखने का अधिकार। यहाँ यह बात शायद बहुत सुस्पष्ट लग रही हो पर चलिए इस तथ्य को दोहरा ही लेते हैं कि यह कोई नहीं बता सकता कि हम शादी के लिए कब पूरी तरह से तैयार हैं। हमारे खुद के आलावा। आइए चयन के अधिकार का आदर करें। आइए उस युगल जोड़े को आशीर्वाद दें जो अलग परिवेश होने के बाद भी साथ होना चाहते हैं। आइए उन लोगों के लिए ख़ुशी मानते हैं जो एकल/अविवाहित की श्रेणी पर सही का निशान लगाने में ख़ुशी महसूस करते हैं। आइए सीमाओं को तोडें। आइए परिवर्तनकारी/क्रन्तिकारी बनते हैं। आइए उस एक चीज़ का आदर करते हैं जिससे हमने लोगों को सदा वंचित रखा है। चयन। आज़ादी। साधन। हम जो और जैसे हैं, वैसे ही रहने का सरल अधिकार।



एक परिवार में सालों तक चलता यौन शोषण, सामूहिक असहजता, और एक अंत यही है मेरी कहानी यह लेख तारशी के #TalkSexuality अभियान का हिस्सा है। लेख की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए इसकी लेखिका अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती हैं।

अनाम लेखक

पिछले साल अगस्त में मेरे दादाजी का निधन हो गया। इस संभावित परिणाम के आखिरकार वास्तविकता में बदलने पर अचंभित सी हो गई थी मैं; एक अंत, जिसका इंतज़ार मेरे परिवार का हर एक सदस्य कर रहा था। नवम्बर 2013 में, आखिरकार मैं दिल्ली पुलिस को कॉल करके अपने दादा के खिलाफ़ ऍफ़ आई आर करवाने की हिम्मत जुटा पाई; जिससे दो चीज़ें साफ़ हुईं – पहली यह कि ये कॉल करना कितना आसान था और दूसरी, कि दिल्ली पुलिस के वे निडर ऑफिसर उस दिन कितने असमर्थ और असहाय थे। तकरीबन दो घंटे तक सालों तक चले यौन शोषण और घरेलु हिंसा से जुड़े सभी प्रसंगों को विस्तारपूर्वक बताने के बाद, वे पुलिस वाले बस इतना ही कह सके ''यह घरेलु हिंसा का मामला है। हम देख सकते हैं कि आपके दादा एक अहंकारी और अड़ियल व्यक्ति हैं। पर चूँकि यह घर उनका है, इसलिए हम उन्हें गिरफ़्तार नहीं कर सकते हैं। आप उन्हें कमरे में बंद करके रख सकते हैं, और चाहें तो उन्हें पीट भी सकते हैं।'' बाहर जाते समय उन्होंने दादा की आँखों में आँखे डालकर उन्हें अच्छा व्यवहार करने को

मेरी दादी अपने पति को रोकने की बजाए मुझे चुप करने में लगी थीं। मुझे याद है मेरी माँ के काम से लौटने पर, अपने पारंपरिक गुजराती झुले पर बैठे हुए, मैंने ये घटना उन्हें बताई थी। वो मुझ पर विश्वास करती थीं पर विश्वास नहीं भी करना चाहती थीं। उनकी कोई प्रतिक्रिया ना मिलने पर, यहाँ तक कि गले लगाने कि मेरी अपेक्षा तक ना पूरी होने के कारण, हर बीतते हुए पल के साथ मेरा गुस्सा बढ़ता जा रहा था।

कहा और निकल गए। मैं पूर्ण रूप से आश्वस्त थी कि अब 'न्याय' पाने के लिए मैं अपनी तिल भर भी शक्ति बर्बाद नहीं करूँगी। मैंने अपने दोस्तों को कॉल किया कि वो मुझे आकर ले जाएँ और मैं चली गई।

मैं उस वक़्त सातवीं कक्षा में पढ़ती थी जब मैंने अपने दादा को अपने कमरे की आँगन की तरफ़ खुलने वाली खिड़की के पास खड़े होकर हस्तमैथुन करते देखा था, मैं और मेरी बड़ी चचेरी बहन रात का खाना खाने के बाद अपनी थाली रखने गए थे, एक ऐसा नियम जो मेरे दादा ने अपने 'उत्कृष्ट अनुशासन' की इच्छा में लाग् किया था, और इसी कारण वे इस नियम के नियम से पूरी तरह अभ्यस्त थे। मेरी बहन, जो शायद इस दृश्य से वाकिफ़ थी, ने हैरानी के हलके से भी संकेत के बिना, मेरा हाथ पकड़ा और मुझे जल्दी से हमारे कमरे में ले आई। बाद में उस रात उन्होंने मुझे बताया कि इसे हस्तमैथुन कहते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने यह बात अपनी माँ को नहीं बताई थी। पर यह याद नहीं

आ रहा कि क्यों नहीं बताई थी। मुझे पता है कि मुझे इस बात का डर नहीं था कि वो मुझ पर विश्वाश नहीं करेंगी, पर फिर भी एक हिचकिचाहट थी।

आखरी बार जब मैंने अपने दादा के लिंग को देखा था तो मैं ग्यारवीं कक्षा में थी। मैं अपनी एक प्यारी दोस्त से फ़ोन पर बात कर रही थी और दादा ने मुझे फ़ोन रखने को कहा। जब मैंने मना किया तो उन्होंने अपनी पैंट की चैन खोली और मुझ पर आक्रमण करने को दौड़े। सोफ़े पर बैठे होने के कारण मेरा मुंह उनके लिंग के बराबर पर था। आपके जीवन के इन क्षणों के बारे में आपसे कोई बात नहीं करता है, स्कूल में ऐसी कोई पाठ्य पुस्तक नहीं होती जो इस जीवन कौशल में समर्थ बनाए। उस दिन अपने पूरे शरीर में मैंने जिस डर को महसूस किया, वही मेरा एकमात्र साधन था ये जानने के लिए कि मेरे साथ जो हो रहा है वो गलत है, और यह कि मुझे अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए कुछ करना होगा, कुछ भी। पथराई हालत में मैने अपनी सहेली को बताया कि मेरे साथ क्या हो रहा है, और उसने मुझसे कहा कि मैं अपने कमरे में जाकर अपने आपको बंद कर लूं। अपने आंसू पोंछते हुए और अपने डर को काबू करते हुए, मैंने चिल्लाते हुए उन्हें एक ओर धकेला, और कहा "आपको तो यही करना आता है" और अपने कमरे की ओर दौड़ पड़ी। मेरी दादी अपने पित को रोकने की बजाए मुझे चुप करने में लगी थीं। मुझे याद है मेरी माँ के काम से लौटने पर, अपने पारंपरिक गुजराती झूले पर बैठे हुए, मैंने ये घटना उन्हें बताई थी। वो मुझ पर विश्वास करती थीं पर विश्वास नहीं भी करना चाहती थीं। उनकी कोई प्रतिक्रिया ना मिलने पर, यहाँ तक कि गले लगाने कि मेरी अपेक्षा तक ना पूरी होने के कारण, हर बीतते हुए पल के साथ मेरा गुस्सा बढ़ता जा रहा था। वह गुस्सा जो सुबह की असहायता से शुरू हुआ था, उस दिन के अंत तक, परिवार की गहरी छुपी हकीकत के रूप में जम गया।

अपनी माँ, चचेरी बहनों, छोटे चचेरे भाइयों और उनकी माँ के साथ, अपनी सामूहिक रसोई में बैठ कर मैंने वो सारी कहानियाँ सुनी कि कैसे घर के मुखिया – हमारे घर में घरेलु हिंसा तो एक आम बात थी। चीखते, चिल्लाते. गालियाँ देते लोग: अपने बच्चों के साथ अपने कमरों में भागती माएँ, मुझे और मेरी माँ को मेरे दादा से बचाते मेरे पिता, इन सब ने मुझे तेज़ आवाज़ के प्रति अति संवेदनशील बना दिया था, जो मैं आज भी हुँ।

मेरे दादा — द्वारा उन सभी का यौन शोषण हुआ था। हमारे घर में घरेलु हिंसा तो एक आम बात थी। चीखते, चिल्लाते, गालियाँ देते लोग; अपने बच्चों के साथ अपने कमरों में भागती माएँ, मुझे और मेरी माँ को मेरे दादा से बचाते मेरे पिता, इन सब ने मुझे तेज़ आवाज़ के प्रति अति संवेदनशील बना दिया था, जो मैं आज भी हूँ। आज भी तेज़ आवाज़ मेरे अन्दर उसी डर को जगा देती है।

पर 13 सदस्यों के इस अति-मान्य संयुक्त परिवार के 8 सदस्यों के साथ 17 वर्षों तक चले यौन शोषण के बारे में घर के किसी पुरुष सदस्य को पता नहीं, यह बात सबसे बड़े सवाल की तरह मेरे किशोर कन्धों पर भार बनकर बढ़ता जा रहा था। यह कैसे संभव है?

हमने इसे होने कैसे दिया? हमने क्यों नहीं कहा "नहीं, बस अब बहुत हुआ"?

हम उसी रसोई में या कभी कोई फ़िल्म देखते समय, अक्सर साथ मिल कर इस बात पर हँसते थे — अपने इस सामूहिक जीवन की सच्चाई के साथ रहने के लिए परिहास हमारे लिए एक साधन बन गया। हम असहाय थे और इसके परिणामस्वरूप प्रबल क्रोध भी महसूस करते थे। उनका हमारे ऊपर पूरा नियंत्रण होता था — हम क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, टी वी पर क्या देखते हैं। उनकी दबंग आवाज़ और उनकी परपीड़कसंतोष से भरी चुभती हुई आँखों से जो डर हमें महसूस होता था वो हमारे आतंरिक संसार में बहुत साफ़ तौर पर झलकता था। यह जानते हुए कि यही हमें हमारी अप्रतिकार्य विभिन्नताओं के बावजूद हमें बांध कर रखता है, एक साथ रोना और एक दूसरे को सांत्वना देना ही एकमात्र तरीका था जिससे हम खुद को सँभालते और बचाते थे।

मेरे सारे दोस्तों को मेरे 'परिवार' की इस सच्चाई के बारे में पता था। जैसा कि मेरे मनोचिकित्सक ने एक बार समीक्षा की थी ''लगता है जैसे तुम लोगों की एक सेना तैयार कर रही हो जो तुम्हें सहारा देंगे..." और उन्होंने मेरे सारे दोस्तों को मेरे 'परिवार' की इस सच्चाई के बारे में पता था। जैसा कि मेरे मनोचिकित्सक ने एक बार समीक्षा की थी ''लगता है जैसे तुम लोगों की एक सेना तैयार कर रही हो जो तुम्हें सहारा देंगे..." और उन्होंने कैसे मेरा साथ दिया!

कैसे मेरा साथ दिया! हम सभी एक ही उम्र के थे; उनसे बात करना और अपनी बातें साझा करना एकमात्र तरीका था जिससे मुझे कुछ राहत मिल सकती थी। पर जब मेरे साथ यह सब हो रहा था तब मैं कितना चाहती थी कि काश कोई होता, स्कूल में एक काउंसलर, या एक शिक्षक ही, जिन्हें मैं ये सब बता पाती, जो मेरी मदद कर पाते, जो मुझे बता पाते कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं, जो मुझसे 'सहज एहसास और असहज एहसास' के बारे में बात कर पाते, या मुझसे कहते कि मुझे ना कहने का अधिकार है क्योंकि ये शरीर मेरा है!

मैंने अपना स्नातकोत्तर शोध-निबंध (मास्टर्स डिसर्टेशन) अपने दादा पर लिखा

मेरा पन्ना

और इस पर कि क्यों हम में से किसी ने ना तो कभी उनका सामना किया और ना ही उस अनकही सच्चाई से लोगों को अवगत कराया। अपने धैर्य से सुनने वाले, समर्थन करने वाले और गंभीर रूप से विश्लेषण करने वाले मार्गदर्शकों (गाइड) की मदद से मैंने उन धागों को खोलना और सुलझाना शुरू किया जिसने मुझे अब तक बांध कर रखा था। मैंने अपने दादा को अपने शोध-निबंध की एक प्रति उनके जन्मदिन पर तोहफ़े में दी। मैंने अपने पिता को भी पढ़ाया। शोध-निबंध को लिखने की प्रक्रिया ही वह कारण थी जिससे मैं उनका सामना कर पाई और पुलिस वालों को बुला पाई, और आख़िरकार अपने जीवन के उस अध्याय को निर्णायक अंत दे पाई; जो काश मैं 8 साल पहले कर पाती, जब मेरी माँ जीवित थीं।



इना गोयल



इना गोयल द हिजड़ा प्रोजेक्ट की संस्थापक हैं और वर्तमान में डिपार्टमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, द चाइनीज़ यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग में स्थित हैं। उनसे inagoel@gmail.com पर संपर्क किया जा सकता है। (यह लेख हिजड़ा समुदाय पर शोध करते हुए इस बात को समझने का प्रयास है कि हिजड़ों की भूमिका पर अपना मत रखने के क्या अर्थ हैं और हिजड़ा बनने की प्रिक्रियाएँ क्या हैं। यह अध्ययन दिल्ली, भारत, में रहने वाले हिजड़ा समुदाय के नृजातीय (Ethnographic) अध्ययन पर आधारित है और सामाजिक अंग के रूप में हिजड़ा समुदाय के जन्म का अन्वेषण करता है। समाज में प्रचलित अनेक तरह के पूर्वाग्रहों और असहिष्णुताओं के कारण हिजड़ा समुदाय हमेशा से समाज के हाशिए पर घोर गरीबी में जीवन व्यतीत करता रहा है, जिसे सामान्य जीवन की सभी प्रक्रियाओं से बाहर रखा गया। इस समुदाय की समस्याओं को समझने में सबसे बड़ी बाधा इस समूह की अपने को 'गोपनीय' बनाये रखने की है। इनके सामाजिक बहिष्कार को देखते हुए यह लेख अस्मिता की राजनीति और सामाजिक भेदभाव के पुनरुत्पादन के बीच अंतर्संबंधों की तलाश करता है जो मौजूदा वर्ग, लिंग, यौनिकता आदि की विषमताओं और गैरबराबरी का कारण हैं।)

एक सामाजिक संस्था के रूप में हिजड़ों का जन्म

भारत में हिजड़ा समुदाय सामाजिक-धार्मिक आधार पर अलग लैंगिक पहचान (जेंडर आइडेंटिटी) वाले लोगों का विशेष समुदाय है! भारत, जहाँ यौनिकता (सेक्शुअलिटी) प्रायः 'पवित्रता', 'शुद्धता', 'अधीनता', 'सांस्कृतिक दंभ' यहाँ तक कि 'राष्ट्रीय अस्मिता' और 'राष्ट्र-राज्य' से संबंध रखती है (चंदीरमानी एंड बेरी)! औपनिवेशिक शासन (ब्रिटिश रूल) के दौरान हिजड़ा समुदाय को 'आपराधिक-जनजाति अधिनयम (सीटीए) 1871' के तहत 'आपराधिक-जनजाति' घोषित किया गया। कालांतर में हालाँकि इस क़ानून को निरस्त (1952) कर दिया गया लेकिन इसके बावजूद समाज की सामूहिक चेतना में हिजड़ा समुदाय अछूत और यहाँ तक की अमानवीय बना रहा।

भारत के हिजड़ा समुदाय के अंतर्गत बहुत से हिजड़े ऐसे होते हैं जो बधियाकरण

के पारंपरिक अनुष्ठान से नहीं गुज़रते, वे स्वयं की पहचान 'अकवा हिजड़ा' के रूप में करते हैं अर्थात जो पुरुष यौनांग रखते हैं वह भी हिजड़ा समुदाय में स्थान प्राप्त करते हैं।

वह हिजड़े जो बिधयाकरण की प्रक्रिया से गुजरते हैं वे स्वयं की पहचान 'निर्वाणा हिजड़ा' के रूप में करते हैं। इस अनुष्ठान के तहत अंडकोष तथा लिंग दोनों को निकाल दिया जाता है। जो हिजड़े बिधयाकरण की प्रक्रिया से गुजर चुके होते हैं वे हिजड़ा समाज के अंदर सम्मान की नज़रों से देखे जाते हैं क्योंकि उनका मानना है कि बिधया होने का मतलब है उन्होंने सांसारिक सुखों का त्याग कर दिया। शरीर में किया जा रहा यह फ़ेरबदल, लिंग परिवर्तन ऑपरेशन में आने वाले अत्यिधक खर्च के कारण सामान्यतः बिना किसी अधिकृत चिकित्सीय सहयोग के किया जाता है। हिजड़ा समुदाय के भीतर इस तरह के अनुष्ठानों को करवाने वाले स्थानीय चिकित्सकों के ठिकानों के बारे में अत्यिधक गोपनीयता बरती जाती है।

आजीविका के सीमित विकल्प हिजड़ों के स्वरोज़गार हेतु बाध्य होने का प्रमुख कारण है, वह केवल गरीब हैं और उनकी कोई शैक्षणिक पृष्ठभूमि नहीं है जिसका कारण उनका सामाजिक बहिष्कार है (गोयल एंड नायर, 2012)। उनका मुख्य पेशा टोली-बधाई गाना और आशीर्वाद देना है (खान, 2009) जो सभी हिजड़ों के लिए कमाई का एकमात्र ज़रिया है क्योंकि उनको निःसंतान दम्पतियों के लिए सौभाग्यशाली माना जाता है (देखें प्रेस्टन, 378: 1987)। जीवन-यापन के लिए देह-व्यापार को धनार्जन के अगले बेहतर विकल्प के बतौर देखा जाता है। यह घरों से लेकर सड़कों तक विभिन्न सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि से आने वाले पुरुष उपभोक्ताओं के आधार पर फैला हुआ है। जीविका के लिए भीख माँगना आखिरी विकल्प है जिसे हिजड़ा समुदाय के भीतर हेय समझा जाता है।

हिजड़ा समुदाय में प्रवेश के लिए, गुरु द्वारा चेले को गोद लेने की परंपरा है जिससे

वे चेले को घराने की संस्कृतिओं और परम्पराओं से परिचित करा सकें। हिजडों के घराने में शामिल होने पर उन्हें महिलाओं के जैसे नए नाम दिए जाते हैं तथा उन्हें हिजड़ा कम्यून (डेरा) में शामिल होने का अधिकार मिल जाता हैं। यहाँ से एक नयी शुरुआत होती है। हिजड़ों की दुनिया में अभ्यस्त हो जाने के बाद चेले घराने में अपना योगदान करते हुए अपनी कमाई से अपना हिस्सा गुरु को देना आरम्भ करते हैं। श्रेणीबद्ध (उच्च व निम्न) होने के बावजूद भी गुरु-चेला संबंध सहजीवी होता है जो समुदाय के भीतर सामाजिक संगठन की आधारशिला है और सामाजिक नियंत्रण की मुख्य संस्था के रूप में कार्य करता है। एक बार चेला बन जाने के बाद समुदाय की

पूर्वी दिल्ली के लिता पार्क डेरे में रहने वाली मोरनी (बदला हुआ नाम) के अनुसार – "डेरा मेरा परिवार है और मेरे गुरु केवल मेरे संरक्षक नहीं हैं वह मेरी माँ, भाई, पति और मेरा सब कुछ हैं।"

परम्पराओं की किसी भी प्रकार की अवज्ञा किए जाने पर चेले को हिजड़ा समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है और उन्हें हिजड़ा समुदाय से जाति बहिष्कृत समझा जाता है।

गुरु और चेले के संबंधों में कई प्रकार की विविधताएँ हैं। पूर्वी दिल्ली के लिलता पार्क डेरे में रहने वाली मोरनी (बदला हुआ नाम) के अनुसार – "डेरा मेरा परिवार है और मेरे गुरु केवल मेरे संरक्षक नहीं हैं वह मेरी माँ, भाई, पित और मेरा सब कुछ हैं।" पूर्वी दिल्ली सीलमपुर एरिया में रहने वाली सलोनी (बदला हुआ नाम) ने गुरु-चेला संबंधों को व्यक्त करते हुए कहा कि "कभी तो गुरु-चेला संबंध माँ-बच्चे

सलोनी (बदला हुआ नाम) ने गुरु-चेला संबंधों को व्यक्त करते हुए कहा कि ''कभी तो गुरु-चेला संबंध माँ-बच्चे की तरह मधुर हुआ करता था लेकिन तुम जानती हो आजकल यह कैसा है। ज्यादातर इस बात से सहमत हैं कि हमारा संबंध सास-बहु के संबंध की तरह है कभी खट्टा तो कभी मीठा दोनों है।"

की तरह मध्र हुआ करता था लेकिन तुम जानती हो आजकल यह कैसा है। ज़्यादातर इस बात से सहमत हैं कि हमारा संबंध सास-बहू के संबंध की तरह है कभी खट्टा तो कभी मीठा दोनों है।" चंपा (बदला हुआ नाम), लक्ष्मी नगर डेरे पर रहने वाली वरिष्ठ गुरु की एक चेला हिजड़ा हैं। उनका कहना था "इसके अतिरिक्त हम अपने गुरु से क्या इच्छा रख सकते हैं? हमारे गुरु हमारे रक्षक और मुक्तिदाता हैं। वे हमें इस क्रूर और निष्ठुर दुनियाँ से बचाते हैं! हमारे पास ऐसा कोई नहीं है जिस पर हम भरोसा कर सकें, अपने परिवार वालों तक पे भी नहीं जिन्होंने हमें पैदा किया, उन्होंने हमारा त्याग कर दिया..."

घरानों के वर्गीकरण की आतंरिक व्यवस्था

हिजड़ा समुदाय के भीतर जो सामाजिक श्रेणियाँ प्रचलित हैं वह हिजड़ा समुदाय के भीतर वर्गीकरण की आन्तरिक

व्यवस्था 'क्रमबद्ध श्रेणी' पर आधारित हैं जिसे घराना कहते हैं। दिल्ली में घरानों की जो व्यवस्था मौजूद है वह आरम्भ से ही इस बात में विश्वास रखती है कि उनका उद्दभव मुख्य रूप से दो घरानों से हुआ है एक है 'बादशाहवाला' और

दूसरा है 'वज़ीरवाला'। ये घराने आगे चलकर चार उप-घरानों में विभाजित हो जाते हैं। 'बादशाहवाला' घराने से जो घराने पैदा हुए वह इस प्रकार हैं – सुजानी घराना और राय घराना। 'वज़ीरवाला' के अंतर्गत जिन घरानों का उद्दभव हुआ वे हैं – कल्याणी घराना और मंडी घराना।

हालाँकि हिजड़ा घराने के नामों के मायने और घरानों की सामाजिक स्थिति में कोई व्यवहारिक समानता नहीं है, यह मात्र एक खास तरह की शक्तियों का विभाजन है जो शायद हिजडा घरानों के बीच मौजुद हो। मेरे अपने अध्ययन के संबंध में उच्च श्रेणीबद्धता पर आधारित इन घरानों का वर्गीकरण हिजड़ा समुदाय के भीतर मौजूद सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने का काम करती है। इस प्रकार की संरचनाएँ हो सकता है हिजडा समुदाय के भीतर कई स्तर पर मौजूद सामाजिक श्रेणीओं को नियंत्रित करने का एक माध्यम हो जो हिजड़ा समुदाय को लम्बे समय से एक सांस्कृतिक परियोजना के बतौर शासित करती रही है।

शरीर एक सामाजिक निर्मिति है और हर व्यक्ति उसका अपना-अपना अर्थ लेते हैं और ऐसा ही हिजड़ा समुदाय के लोग भी अपने शरीर के साथ करते हैं। अपनी स्वीकार्यता के क्रम में हिजडों द्वारा अपने शरीर में किया जाने वाला फेरबदल इस बात को दर्शाता है कि किस प्रकार उनकी शारीरिक प्रतीकात्मकता समाज की इच्छाओं की पूर्ति में लगी हुई है।

हिजड़ा समुदाय की वास्तविकता और उनके बारे में जनता के बीच फैली सामान्य जानकारी में बहुत अंतर है; यह अलगाव एक समस्या है। हिजड़ा समुदाय के विरुद्ध होने वाले भेदभाव ने उन्हें असमानता से चालित भिन्नताओं में जीवित रहने और भूमिगत समाज बनाने को मजबूर कर दिया है।

निष्कर्ष

हिजडे अपने समाज के भीतर निर्धारित श्रेणीबद्धता को अन्तः सांस्कृतिक रिवाजों के तहत बनाए रखते हैं जो उन्हें एक बंद सामाजिक समूह बनाता है। शरीर एक सामाजिक निर्मिति है और हर व्यक्ति उसका अपना-अपना अर्थ लेते हैं और ऐसा ही हिजड़ा समुदाय के लोग भी अपने शरीर के साथ करते हैं। अपनी स्वीकार्यता के क्रम में हिजडों द्वारा अपने शरीर में किया जाने वाला फेरबदल इस बात को दर्शाता है कि किस प्रकार उनकी शारीरिक प्रतीकात्मकता समाज की इच्छाओं की पूर्ति में लगी हुई है। एक ऐसे देश में जहाँ समलैंगिकता को अभी भी 'अप्राकृतिक' और 'बीमारी' माना जाता है, निःसंदेह भारत में इस समुदाय को बीमारों की तरह देखा जाता है।

हिजड़ा समुदाय के बहिष्कार नतीजा यह हुआ है कि जो लोग अपनी पहचान को समुदाय के साथ जोड़कर देखते हैं वो

विषमलैंगिक मानकता से लड़ने, लिंग, यौनिकता और शरीर को समझने की बजाय, समाज में मौजूद जटिलता का ही अवतारीकरण करने लगते हैं। यह 'अन्यकरण' की प्रक्रिया को ही बढ़ावा देता है। हिजड़ों को जो अलौकिक

मेरा पन्ना

पौराणिक दर्जा दिया गया है वह उन्हें हाशिए पर ही ले जाने का काम करता है। हिजड़ा समुदाय के इर्द-गिर्द बने रहस्यलोक को उन कल्याणकारी योजनाओं के लिए, जो हो सकता है उनकी ज़रूरतों को शामिल कर लें, हटाना बहुत आवश्यक है! हिजड़ा समुदाय की वास्तविकता और उनके बारे में जनता के बीच फैली सामान्य जानकारी में बहुत अंतर है; यह अलगाव एक समस्या है। हिजड़ा समुदाय के विरुद्ध होने वाले भेदभाव ने उन्हें असमानता से चालित भिन्नताओं में जीवित रहने और भूमिगत समाज बनाने को मजबूर कर दिया है। मेरे अध्ययन का उद्देश्य इस बात को प्रकाश में लाना था कि अजैविक रक्त संबंधों पर आधारित हिजड़ों की सामाजिक गोपनीयता उनके लिए संदिग्ध हो चुकी है, यह गोपनीयता दिल्ली के हिजड़ा समुदाय के सामाजिक अस्तित्व का सामान्य मानक बन चुकी है।

इस लेख का एक विस्तृत रूपांतरण मूल रूप से गोरखपुर न्यूलाइन में प्रकाशित हुआ था जिसे आप यहाँ (https://tinyurl.com/hijrasamaaj) पढ़ सकते हैं।



अखिल कत्याल



अखिल कत्याल दिल्ली स्थित लेखक और अनुवादक हैं। उन्होंने एस.ओ.ए.एस, लंदन विश्वविद्यालय में 'यौनिकता और दक्षिण एशिया' पर पीएचडी पूरी की। वे वर्तमान में अंबेडकर विश्वद्यालय दिल्ली में रचनात्मक लेखन पढ़ाते हैं। उनकी कविता और अनुवाद व्यापक रूप से प्रकाशित होते हैं। जब शाम ढली,

हम सभी सड़क के

चिराग हो गए।

क्रॉयज़बर्ग बस रौशनी था – और सस्ते कबाब –

हरी दीवारें, चरमराते दरवाज़े

फुटपाथ और

लड़के।

एक गोरा जर्मन, लम्बा,

जिसने पिछले साल लंदन के एक कमरे में

अपने बॉयफ्रेन्ड को खोया था –

सारी रात उसी की बातें करता रहा।

लगभग सात फीट का, और

उसकी आखें – सिर्फ़ आरज़्।

एक अमरीकी स्टूडेंट, उसका दोस्त

जिसके दिमाग में सिर्फ़ सेक्स था – बिलकुल हमारी तरह –

जो किसी टी-शर्ट पर लिखी चीज़ों जैसे बातें करता,

जिसके चेहरे पर मुस्कान सिली हुई थी, और जिसने

हम में से सबसे ज्यादा पी थी।

एक मराठी लेखक – जिससे मैं बाद में मिलता रहा –

जिसकी छ: महीने की सीखी जर्मन, इतनी दिलचस्प थी

कि सिर्फ़ उसका ''दान्के'' सुनने के लिए हम बियर बार बार मंगाते रहे। एक और लड़का, जो बार पर बस टिका सा था, जो स्ट्रल पर बस बैठा सा था – जिसकी काली शर्ट पसीने से ठण्डी हो चली थी और जिसकी आँखें सिर्फ़ व्हिस्की थीं. वो देर रात तक वहाँ रहा – फिर शायद मिस्टर "दान्के" के साथ गया था, और एक डच लड़का जिसके नाम का मतलब 'रौशनी' था जिसने मुझे बर्लिन का सबसे खूबसूरत हिस्सा दिखाया एक छोटे से होटल का छोटा सा कमरा यू-बॉन से बस चार स्टेशन दूर, वो कमरा, जिसके बाद जब सुबह आई हर तरफ़ सिर्फ़ सूरज था, सिर्फ़ सूरज था हर तरफ़ जब सुबह आई

बर्लिन में, उस रात।

तारशी (टॉकिंग अबाउट रिप्रोडिक्टव एंड सेक्शुअल हेल्थ इशूज़) एक पंजीकृत संस्था है जो नई दिल्ली, भारत में स्थित है। हम यौनिक एवं प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकारों पर काम करते हैं। यौनिकता के मुद्दों पर हम व्यापक और सकारात्मक, अधिकार आधारित नज़रिए से काम करते हैं और उसे सिर्फ़ बीमारी की रोकथाम या महिलायों एवं यौन अल्पसंख्यों के खिलाफ़ हिंसा की रूपरेखा तक ही सीमित नहीं रखते। तारशी में हम प्रसार, ज्ञान और परिप्रेक्ष्य निर्माण के माध्यम से लोगों का उनके यौन और प्रजनन स्वास्थ्य पर नियंत्रण और साधन एवं उनके समग्र स्वास्थ्य का समर्थन करते हैं। हम मानव अधिकारों की रूपरेखा के अंतर्गत उन्हें सक्षम बनाने का प्रयास करते हैं।

यदि आप इन प्लेनस्पीक पर अपनी रचना प्रकाशित करना चाहते हैं तो कृपया अपनी रचनाएँ blogeditor@tarshi.net पर भेजें, और ईमेल के विषय में इन प्लेनस्पीक के उस संस्करण का नाम लिखें जिसमें आप अपनी रचना प्रकाशित करना चाहते हैं और अपना पूरा नाम लिखें।

रचनाओं की अर्हता हेतु अपनी रचनाएँ हमें भेजते समय यहाँ दिए गए दिशा-निर्देशों (http://www.tarshi.net/inplainspeak/about-hindi-editorial/hindi-submission-guidelines/) का ध्यान रखें। कोई भी प्रस्तुति जो आपत्तिजनक, संवेदनशील या हिंसात्मक हो या जाति, जेंडर, धार्मिक संबद्धता, यौनिक एवं जेंडर पहचान, विकलांगता या अन्य किसी आधार पर लोगों की भावनाओं को ठेस पहुँचाती हो, नामंज़ूर कर दी जाएगी।

इन प्लेनस्पीक पर ऑनलाइन प्रकाशित लेखों को आप यहाँ पढ़ सकते हैं

http://www.tarshi.net/inplainspeak/category/hindi/

तारशी
(टॉकिंग अबाउट
रिप्रोडिक्टव एंड
सेक्शुअल हेल्थ
इश्ज़)

सा-29 बसमट, इस्ट आफ़ कलाश, नई दिल्ली - 110065, इंडिया फ़ोन - (91) 11 2632 4023/24/2. ईमेल - tarshiweb@tarshi.net वेब - www.tarshi.net फसबुक - @tarshingo ट्विटर - @tarshingo इंस्टाग्राम - @tarshingo यूट्यूब - @tarshingo

